



अध्याय II सेनवेट क्रेडिट का संचय

सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ प्राप्त करना (लेना) किसी निर्धारिती की क्रेडिट किट्टी को जोड़ा जाता है जिसका बाद में उत्पाद शुल्क/सेवा का भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसका परिणाम राजस्व हानि होती है क्योंकि यदि निर्धारिती ने गलती से लाभ नहीं लिया था और क्रेडिट का संचयन किया था, उसको सरकार को कर/शुल्क का नकद भुगतान करना पड़ेगा। हमने पाया कि निम्न कारणों से सेनवेट क्रेडिट का बड़ा संचय हुआ था

- प्रावधानों का अभाव/अपर्याप्तता
- अपात्र इनपुट्स, इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत माल पर क्रेडिट प्राप्त करना
- क्रेडिट की वापसी न करना
- प्रक्रिया कमियां

खण्ड ए : प्रावधानों का अभाव/ अपर्याप्तता

हमने प्रावधानों, नियमों तथा विनियमों में कुछ कमियों की पहचान की है, जो क्रेडिट के संचय तथा ₹ 190.61 करोड़ की सम्भावित राजस्व हानि में परिवर्तित हो गई हैं। हमने सिफारिश की कि उपयुक्त संशोधनों/स्पष्टीकरणों द्वारा इन समस्याओं को दूर किया जाए।

2.1 ई आर 5 तथा ईआर 6 विवरणिया प्रस्तुत न करने के लिए शास्तिक प्रावधानों का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 ए के अनुसार विशिष्ट माल के विनिर्माता, जिसने पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के दौरान ₹ एक करोड़ या अधिक के शुल्क का भुगतान किया था, को प्रस्तुत करना होता है:

- उत्पादन किए जाने वाले सभी उत्पाद शुल्क योग्य माल और अपेक्षित प्रमुख प्रयोज्य सामग्री की मात्रा घोषित करते हुए एक वार्षिक विवरणी (ईआर 5)
- अन्तिम उत्पादों की मात्रा के संदर्भ में प्रत्येक प्रमुख प्रयोज्य सामग्री की प्राप्ति तथा खपत की सूचना देते हुए मासिक विवरणी (ईआर 6)।

ऐसी विवरणियां यह सत्यापन करने में विभाग को समर्थ बनाती हैं कि क्या प्रयोज्य सामग्री तथा उत्पादन के बीच अनुपात स्वीकार्य प्रतिमानों के अन्तर्गत है। यह एक निर्णायक जांच है क्योंकि प्रयोज्य सामग्री का अधिक बताया जाना या उत्पादन को कम बताया जाना शुल्क अपवंचन करने में विनिर्माता को समर्थ बनाएगा।

हमने पाया कि 11 कमिश्नरियों में नमूना जांचित 93 निर्धारितियों में से 35, जिन्होंने ₹ एक करोड़ से अधिक के शुल्क का भुगतान किया था, ने ये विवरणियां नहीं भेजीं और तीन निर्धारितियों ने 9 से 20 महीनों के विलम्ब के बाद घोषणा प्रस्तुत की। हमने देखा कि आवधिक रूप से दोषियों की पहचान करने और इन विवरणियों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए विभाग के पास कोई तन्त्र नहीं था।

इसके अलावा, नियमों में इन विवरणियों को प्रस्तुत न करने/विलम्बित प्रस्तुतीकरण के लिए किसी शास्तिक प्रावधान का विशेष उल्लेख नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण जांच उचित रूप से नहीं की जा रही थी और अपवंचन के विद्यमान जोखिम का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं किया जा रहा था। हमने दो मामले देखे जहां बड़ी संख्या में कमियों की जांच नहीं की गई थी और अस्पष्ट रही थी। उन्हें विस्तार में नीचे दिया गया है:

मै. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरबा की ईआर 5 विवरणी ने दर्शाया कि उसने 2005-06 से 2007-08 वर्षों के दौरान 8.44 लाख टन एल्यूमिनियम उत्पादों का विनिर्माण किया था जिसके लिए उत्पादन प्रतिमानों के अनुसार 488.99 लाख लीटर भट्टी तेल अपेक्षित था। तथापि, इसने 1,523.93 लाख लीटर की खपत दर्शाई। इस प्रकार ₹ 29.45 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट के परिणामी अधिक लाभ लेने के साथ 1034.94 लाख लीटर भट्टी तेल की अस्पष्टीकृत अधिक खपत हुई थी।

ईआर 5 तथा ईआर 6 विवरणियों ने यह भी दर्शाया कि 2006-07 के दौरान 2.22 लाख टन एल्यूमिना के विनिर्माण के लिए 29,581 टन कास्टिक सोडा की आवश्यकता के प्रति 32,635 टन कास्टिक सोडा की खपत दिखाई गई थी। इस प्रकार 3,054 टन कास्टिक सोडा की अधिक खपत हुई थी जो ₹ 77.74 लाख के अधिक सेनवेट क्रेडिट में बदल गई। अधिक लिया गया सेनवेट क्रेडिट ब्याज के साथ वसूली योग्य था। विभाग द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया गया था।

आपत्ति बताए जाने पर (फरवरी 2009) विभाग ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

चूंकि इस प्रकार की विसंगतियां ईआर 5 तथा ईआर 6 विवरणियों से खोजी जा सकती हैं इसलिए मानीटरिंग को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सिफारिश सं. 1

➤ ईआर 5 तथा ईआर 6 विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए शास्तिक प्रावधान लागू करने पर सरकार विचार करे।

एक्जिट कान्फ्रेंस में बोर्ड ने बताया कि सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 15ए में किसी प्रकार की विवरणी प्रस्तुत न करने के लिए शास्तिक प्रावधान है। उन्होंने यह भी

बताया कि वे निर्देश जारी करेंगे कि ईआर 5 तथा ईआर 6 विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए नियम 15ए के अन्तर्गत शास्ति लगाई जानी चाहिए।

2.2 बट्टे खाते डाली गई आउटपुट सेवाओं के लिए प्रयुक्त प्रयोज्य सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट वापसी के लिए प्रावधानों का भाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5बी) में प्रावधान है कि किसी प्रयोज्य सामग्री या पूंजीगत माल, जिसपर क्रेडिट लिया गया है, का मूल्य पूर्णतया बट्टे खाते डाला जाता है या बट्टे खाते डालने के लिए पूर्ण मूल्य का प्रावधान किया जाता है तब विनिर्माता कथित प्रयोज्य सामग्री या पूंजीगत माल के संबंध में लिए गए क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

हमने देखा कि उन मामलों, जहां कर योग्य प्रयोज्य सेवाएं बट्टे खाते डाली गई हैं क्योंकि किसी कारणवश वे अवसूली योग्य हो गई हैं, प्रयोज्य सेवाओं की वसूली या विपर्यय के बारे में सेनवेट क्रेडिट नियमावली मौन है। ऐसे बट्टे खातों की अरोप्य प्रयोज्य सेवा क्रेडिट विपर्यय किया जाना अपेक्षित है क्योंकि कर का कोई प्रपाती प्रभाव नहीं है क्योंकि आउटपुट सेवा पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए प्रयोज्य सेवा क्रेडिट विपर्यय किया जाना अपेक्षित है।

हमने देखा कि 14 कमिश्नरियों में 26 सेवा प्रदाताओं ने 2004-05 तथा 2007-08 वर्षों के बीच ₹ 1427.34 करोड़ के प्राप्ता बिलों को बट्टे खाते डाला था। बट्टे खाते डाली गई राशियां मूल रूप में अप्रदत्त क्रेडिट कार्ड और पश्च प्रदत्त मोबाइल फोन बिल थे। ₹ 23.17 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट बट्टे खाते डाली गई आउटपुट सेवाओं में प्रयुक्त प्रयोज्य सेवाओं को आरोप्य था। ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में यह राशि वसूल नहीं की जा सकी और सरकार को राजस्व की हानि का प्रतीक बन गई। उदाहरणस्वरूप एक मामला नीचे दिया गया है:-

➤ नई दिल्ली सेवा कर कमिश्नरी में, बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत क्रेडिट कार्ड सेवाएं प्रदान करने में लगी मै. एसबीआई कार्ड्स एण्ड पेमेंट सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, गुडगांव ने ग्राहकों के प्रति बिलों की कुछ राशि वसूल नहीं कर सका और सुसंगत वर्षों के वित्तीय लेखाओं में विविध देनदारों के अन्तर्गत उन्हें दर्ज किया। निर्धारिती ने बाद में 2005-06 से 2007-08 तक के वर्षों के दौरान ₹ 329.41 करोड़ की वसूल न की गई ऐसी कुल राशि पूर्णतया बट्टे खाते डाल दी क्योंकि ये अवसूलनीय हो गई। ऐसे अवसूलनीय प्राप्यों के प्रति प्रयोज्य सेवाओं को आरोप्य आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट क्रेडिट ₹ 15.09 करोड़ बनता था। यह सरकार को वापस अदा अथवा विपर्यय नहीं किया गया था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (मार्च 2009), विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2009) कि आउटपुट सेवा कर योग्य होने की अपनी स्थिति को केवल इसलिए नहीं खो देता कि वह सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी अथवा अंशतः प्राप्त की गई है। इसलिए

आउटपुट सेवा के प्रति देय राशि को बट्टे खाते डालना प्रयोज्य सेवाओं पर प्रदत्त सेनवेट क्रेडिट को प्रभावित नहीं करेगा।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। हालांकि आउटपुट सेवा कर योग्य रहती है फिर भी कर प्रपाती नहीं है क्योंकि प्राप्य राशि बट्टे खाते डाली गई है। इसलिए प्रयोज्य सेवाओं को क्रेडिट अनुमेय नहीं होना चाहिए।

सिफारिश सं. 2

➤ आउटपुट सेवाओं, जो बट्टे खाते डाली गई हैं, के लिए प्रयुक्त प्रयोज्य सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट के विपर्यय के लिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली में सरकार उचित प्रावधान लागू करे।

एक्जिट कान्फेंस में बोर्ड ने सिफारिश स्वीकार कर ली और बताया कि यह अपेक्षा कराधान नियमावली के ड्राफ्ट पांडिट में पूरी की गई है। ड्राफ्ट नियमावली को अन्तिम रूप दिए जाने तक राजस्व की सुरक्षा के लिए अन्तरिम प्रावधान की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए भी यह सहमत हो गया।

2.3 अउत्पाद शुल्क योग्य माल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री तथा प्रयोज्य सेवाओं पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट की वसूली के लिए प्रावधानों का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 6 प्रस्तुत करता है कि शुल्क योग्य तथा शुल्क मुक्त माल दोनों के विनिर्माता को शुल्क योग्य तथा शुल्क मुक्त अन्तिम उत्पादों में प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री तथा प्रयोज्य सेवाओं के अलग-अलग लेखे बनाने हैं ताकि वह शुल्क मुक्त माल के लिए प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री तथा प्रयोज्य सेवाओं के लिए सेनवेट क्रेडिट प्राप्त न करे। यदि वह अलग लेखे बनाने का चयन नहीं करता है तब वह शुल्क मुक्त अन्तिम उत्पाद के मूल्य के 8/10 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

अउत्पादशुल्क योग्य माल

जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया नियम 6 शुल्क योग्य का शुल्क माल दोनों के विनिर्माता के लिए स्पष्ट प्रावधान देता है। तथापि माल, जिसके लिए शुल्क की शून्य दर निर्धारित की गई है अथवा अउत्पादशुल्क योग्य माल अर्थात् यद्यपि वे टैरिफ में मौजूद हैं परन्तु न तो शुल्क की दर और न ही शून्य दर निर्धारित की गई है परन्तु उसके स्थान पर दर के कालम को रिक्त छोड़ा गया है, के विनिर्माण के संबंध में प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री या प्रयोज्य सेवा के संबंध में नियमों में योग्य /शुल्क की शून्य दर के माल का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री/ प्रयोज्य सेवाओं पर लिया गया सम्पूर्ण सेनवेट क्रेडिट अन्य शुल्क योग्य मदों पर शुल्क भुगतान करने के लिए उपलब्ध हो जाता है।

हमने देखा कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 12 कमिश्नरियों में 26 विनिर्माओं ने विभिन्न उत्पादक शुल्क योग्य माल का विनिर्माण करने के अलावा अउत्पाद शुल्क योग्य माल, यथा, परिशोधित स्पिरिट, जिक ड्रॉस, विद्युत आदि का भी उत्पादन किया और शुल्क के भुगतान बिना उनकी निकासी की। विद्युत अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए अंशतः फ़ैक्टरी के अन्दर उपयोग की गई थी और अंशतः राज्य विद्युत बोर्ड/अन्य फ़ैक्टरियों को बेची गई या आवासीय कालोनियों के लिए गई। निर्धारितियों ने शुल्क के पूर्ण सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया और प्रयोज्य सामग्री तथा प्रयोज्य सेवाओं पर कर को भुगतान किया परन्तु ऐसे अउत्पादशुल्क योग्य माल के उत्पादन में प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री तथा प्रयोज्य सेवाओं के संबंध में अलग मालसूची नहीं बनाई।

यदि अउत्पादशुल्क योग्य उत्पाद के मूल्य के 10 प्रतिशत का मानदण्ड, जैसा कि नियम 6 में शुल्क मुक्त माल के लिए प्रदान किया गया, लागू किया गया होता तो अप्रैल 2003 तथा मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान ₹ 96.79 करोड़ की राशि वसूल की गई होती।

2.3.1 रायपुर कमिश्नरी में, लोहा एवं इस्पात उत्पादों, सीमेंट एवं क्लिंकर आदि के विनिर्माण में लगे छः निर्धारितियों में विद्युत का उत्पादन भी किया। यह उनके अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए अंशतः फ़ैक्टरी के अन्दर उपयोग की गई थी और शेष किसी उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक के दौरान ₹ 218.75 करोड़ के लिए आवासीय कालोनी, विभिन्न कार्यों के लिए फ़ैक्टरी में लगे ठेकेदारों तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड को बेची गई। चूंकि अलग लेखे नहीं बनाए गए थे इसलिए विद्युत उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री /प्रयोज्य सेवाओं पर लिया गया क्रेडिट किसी रूप में निष्प्रभाव नहीं किया गया था।

कुछ अन्य मामले उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:-

तालिका सं. 2

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	निर्धारित	कमिश्नरी	अउत्पादशुल्क योग्य माल	बेचे गए करेतर उत्पाद का मूल्य	विक्री मूल्य का 10%
1	छः निर्धारित	भुवनेश्वर -I एव II	विद्युत	335.25	33.52
2	मै. ग्रासिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	इन्दौर	विद्युत	228.27	22.83
3	मै.न्यू स्वदेशी सुगर मिल्स लिमिटेड	पटना	परिशोधित स्पिरिट एवं विद्युत	26.97	2.70
4	मै. आर पी जी ट्रांसमिशन लिमिटेड (नया नाम: मै. केईसी ट्रांसमिशन लिमिटेड)	भोपाल	जिक ड्रॉस एवं बर्न्ट जिक	7.84	.79

फरवरी 2009 में हमारे बताएं जाने पर, विभाग ने उपरोक्त तालिका के क्रमांक 2 तथा 4 पर वर्णित निर्धारितियों को एससीएन जारी किए जाने का सूचना दी (जून 2010)।

सिफारिश सं. 3

- सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6 में उत्पादक द्वारा शुल्क योग्य तथा इससे छूट प्राप्त वस्तुओं का उत्पादन होने पर शुल्क योग्य/ छूट प्राप्त वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त इनपुट तथा इनपुट सेवाओं के लिए पृथक खाता न रखे जाने पर क्षतिपूरक भुगतानों का प्रावधान है। नियम में शुल्क योग्य तथा गैर उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। नियम 6 में शुल्क योग्य तथा गैर उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं के लिए खाता अलग न रखे जाने पर उपयुक्त क्षतिपूरक भुगतान शामिल किए जाने चाहिए। .

एक्जिट कान्फ्रेन्स में बोर्ड गैर उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं के विषय में नियम में कुछ न कहे जाने पर सहमत था तथा उसने कहा कि इस संबंध में समुचित स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।

2.4 आयातित इनपुट पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (विशेष सीवीडी) के क्रेडिट का दोहरा लाभ

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(5) के तहत जारी दिनांक 1 मार्च 2006 को जारी सीमाशुल्क अधिसूचना के द्वारा 1 मार्च 2006 से सभी आयातित वस्तुओं पर 4 प्रतिशत की दर से राज्य करो/वेट के बदले एक अतिरिक्त सीमाशुल्क के विशेष सीवीडी लगाया गया है। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 में संशोधन द्वारा , आयातित वस्तुओं पर प्रदत्त विशेष सीवीडी के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ दिया गया है।

हांलाकि नकद भुगतान न करके डीएफईसी, टार्गेट प्लस, डीईपीबी इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों के प्रति समायोजित की गई विशेष सीवीडी के लिए सेनवेट प्राप्त होगा या नहीं ऐसा नियमावली तथा प्रावधानों में विशेष रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है।

हमने देखा कि हैदराबाद I,III,IV तिरूपति तथा विज़ाग कमिश्नरियों में, नमूना जाँच में देखे गए 17 निर्धारितियों, जो उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं के उत्पादन में लगे थे, ने आयातित इनपुट पर विशेष अतिरिक्त शुल्क (विशेष सीवीडी) का सेनवेट क्रेडिट लिया हांलाकि इसके शुल्क का नकद भुगतान न करके उसे डीईपीबी, टार्गेट प्लस इत्यादि जैसी आयात प्रोत्साहन योजनाओं के प्रति समायोजित किया गया था। उपरोक्त नियम के निबन्धनों के अनुसार 2006-07 तथा 2007-08 की अवधि के दौरान आयातित इनपुट पर विशेष अतिरिक्त शुल्क के प्राप्त तथा उपभुक्त कुल ₹ 27.88 करोड़ के क्रेडिट को वसूल किए जाने की आवश्यकता थी।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2007 से मार्च 2009), विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2009 से अगस्त 2010) कि सभी मामलों में रक्षात्मक एससीएन पहले ही जारी किए जा चुके थे। मै. अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड के मामले में इसने बताया कि बोर्ड

ने अक्टूबर 2006 में स्पष्ट कर दिया था कि इस तथ्य से कोई संबंध न मानते हुए कि नकद अदा की गई या योजनाओं को डेबिट किया गया था सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 में उदग्रहित सीवीडी सेनवेट क्रेडिट के रूप में प्राप्त की जा सकती थी। इससे आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। स्पष्टीकरण धारा 3 के अन्तर्गत उदग्रहित सीवीडी से सम्बन्धित था जबकि विशेष सीवीडी (एसएडी) धारा 3(5) के अन्तर्गत उदग्रहित एक अलग शुल्क था। स्पष्टीकरण में ऐसा उल्लेख नहीं था कि यह विशेष सीवीडी पर भी लागू है।

सिफारिश सं. 4

➤ सरकार जांच करे और स्पष्ट करे कि क्या सेनवेट क्रेडिट का लाभ आयातों जहां सभी सीमाशुल्क आयात प्रोत्साहन स्कीमों के प्रति समायोजित किए जाते हैं, के लिए प्रदत्त विशेष सीवीडी हेतु लिया जा सकता है।

एग्जिट कांग्रेस में बोर्ड ने स्कीमों में डेबिट किए गए विशेष सीवीडी के लिए सेनवेट की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सहमति दी।

2.5 आंशिक रूप से बट्टे खाते डाली गई प्रयोज्यसामग्री के संबंध में क्रेडिट के आनुपातिक विपर्यास हेतु प्रावधान का अभाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 3 (5बी) और बोर्ड के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि यदि किसी प्रयोज्यसामग्री अथवा पूंजीगत माल के मूल्य को जिस पर क्रेडिट लिया जा चुका है, पूर्णतः बट्टेखाते डाला जाता है अथवा उपयोग के लिए प्रस्तुत करने से पहले पूर्णतः बट्टे खाते डाले जाने के प्रावधान बनाए जाते हैं, तब विनिर्माता उक्त प्रयोज्य सामग्री अथवा पूंजीगत माल पर लिए गए क्रेडिट के बराबर राशि अदा करेगा। नियमों में प्रयोज्य सामग्री के उपयोग के लिए कोई समय सीमा अनुबद्ध नहीं है।

हमने पाया कि 14 कमिश्नरियों में 21 निर्धारितियों ने प्रयोज्य सामग्री जिसका उपयोग नहीं हुआ था के मूल्य के बड़े भाग को बट्टे खाता डाला। तथापि, उन्होंने थोड़ी अवशिष्ट राशि को इन प्रयोज्य सामग्रियों के लिए अपनी बहियों में रखा। परिणामतः, वे इन प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्रियों पर ₹ 12.18 करोड़ के लिए गए लाभ के सेनवेट क्रेडिट का विपर्यय नहीं कर पाए। उपयोग के लिए किसी सीमा के अभाव में वे अनिश्चित समय तक अवशिष्ट मूल्य को रोक रखने की स्थिति में थे और सेनवेट क्रेडिट के विपर्यय का परिहार कर पाए। इसलिए विपर्यास का प्रावधान पूर्णतः बट्टे खाते डालने के मानदंड और समय सीमा के अभाव के कारण वस्तुतः गैर प्रचालनात्मक हो गया था। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

2.5.1 भुवनेश्वर I कमिश्नरी में, मै. नालको (एमएण्डआर डिविजन) लिमिटेड ने 5 वर्ष से अधिक समय से अप्रयुक्त ₹ 13.49 करोड़ के भंडारों और फालतू पुर्जों के 95 प्रतिशत मूल्य को बट्टेखाते डाला। भुवनेश्वर II कमिश्नरी के अन्तर्गत मै. सेल,

राउरकेला स्टील प्लांट ने 15 वर्षों और उससे अधिक समय से अप्रयुक्त ₹ 30.78 करोड़ की राशि के अप्रचलित, बेशी तथा अनुपयुक्त भंडारों और फालतू पुर्जों की 90 प्रतिशत लागत को बट्टेखाते डाला। यद्यपि, माल उपयोग के काबिल नहीं थे, इन सभी सामग्री के कारण ₹ 7.08 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट इन निर्धारितियों द्वारा वापस अदा नहीं किया गया था क्योंकि मूल्य को पूर्णतः बट्टेखाते नहीं डाला गया था। यह निर्धारितियों से ₹ 99.12 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2009 और मई 2009), विभाग ने प्रथम मामले में सूचित किया (अक्टूबर 2009) कि सेनवेट क्रेडिट नियमावली के उपनियम 3 (V) (बी) और बोर्ड के परिपत्र दिनांक 16 जुलाई 2002 के परिप्रेक्ष्य में, ऐसे माल पर सेनवेट क्रेडिट के लिए गए लाभ का निर्धारितियों को विपर्यय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन मामलों में फालतू पुर्जे फ़ैक्टरी परिसर में उपलब्ध थे और भविष्य में उपयोग किए जा सकते थे। दूसरे मामले में विभाग ने बताया कि अपनाई गई लेखाकरण नीति के अनुसार, निर्धारितियों ने भंडारों और फालतू पुर्जों जिनके 15 वर्षों और उससे अधिक समय से उपयोग नहीं किए गए थे, के 90 प्रतिशत मूल्य को बट्टेखाता डाला गया। ऐसे उदाहरण थे जब ऐसी सामग्री का पुनः उपयोग किया गया। चूंकि सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 3 (V) (बी) में केवल ऐसे मामलों में सेनवेट क्रेडिट के लाभ के विपर्यास की परिकल्पना थी जहां मूल्य को पूर्णतः बट्टे खाते डाला गया था, इसलिए सेनवेट क्रेडिट के विपर्यास की आवश्यकता नहीं थी।

2.5.2 बंगलुरु एलटीयू कमिश्नरी में, मै. टोयटा किलोस्कर आटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 270.24 लाख से ₹ 2.55 लाख तक अप्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री के मूल्य को प्रतिलेखित किया। लेखाबहियों में इस मिनीस्कुल मूल्य को बरकरार रखकर निर्धारितियों ने अनिश्चित अवधि के लिए ₹ 32.60 लाख के सेनवेट क्रेडिट के विपर्यास को लम्बित रखा।

जब हमने इसे बताया (मार्च 2009), विभाग ने बताया (नवम्बर 2009) कि चूंकि निर्धारितियों ने पूर्ण रूप से प्रयोज्य सामग्री को बट्टे खाते नहीं डाला था इसलिए क्रेडिट के विपर्यास की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर आंशिक बट्टेखाते डालने पर विपर्यास के लिए प्रावधान के अभाव पर बल देता था।

सिफारिश सं. 5

सरकार को आंशिक बट्टे खाते डालने के मामले में क्रेडिट के आनुपातिक विपर्यास के लिए "पूर्णतः बट्टे खाते डालने" की शर्त के परिवर्तन पर विचार करना चाहिए।

एग्जिट कान्फ्रेंस में, बोर्ड ने स्वीकार किया कि हम क्रेडिट जहां प्रयोज्य सामग्री अंशतः बट्टे खाते डाली गई हैं के आनुपातिक विपर्यास के संशोधन की व्यवहार्यता की जांच करेंगे।

2.6 नष्ट किए गए पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट की वसूली न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली (नवम्बर 2007 से प्रभावी) के नियम 3 (5ए) में उपयोग के लिए प्रस्तुत करने के बाद अच्छी हालत में निकासी किए गए पूंजीगत माल के संबंध में क्रेडिट से प्रति तिमाही 2.5 प्रतिशत की छूट अनुमत करने के बाद यथानुपात क्रेडिट का विपर्यास अपेक्षित है। नियम 3 (5बी) में प्रावधान है कि जहां प्रयुक्त होने के पहले पूंजीगत माल बट्टे खाते डाले जाते हैं, उनपर लिए गए सेनवेट क्रेडिट के लाभ का विपर्यास करना होगा।

तथापि विस्फोट, आग, बाढ़ आदि में नष्ट पूंजीगत माल पर शुल्क की वसूली के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

2.6.1 हमने पाया कि पूंजीगत माल जिनपर ₹ 37.78 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ पहले ही लिए जा चुका है, हैदराबाद I कमिश्नरी में, मै. अरबिन्दो फार्मा लिमिटेड (यूनिट-V) इसनापुर की फैक्टरी में विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यद्यपि निर्धारिती ने क्षति के लिए बीमा कम्पनी से मुआवजा प्राप्त किया, फिर भी इसने प्रतिष्ठापन की तारीख से नष्ट होने की तारीख तक प्रति तिमाही उपयोग के लिए 2.5 प्रतिशत क्रेडिट की अनुमेय छूट अनुमत करने के बाद ₹ 33.23 लाख का आनुपातिक क्रेडिट अदा नहीं किया। निर्धारिती ने निकासी के छीजन मूल्य पर ₹ 1.73 लाख शुल्क अदा किया जो सही नहीं था क्योंकि पूंजीगत माल न तो निर्धारिती की फैक्टरी में पूर्ण कार्यावधि के लिए प्रयुक्त किए गए थे न ही वे सामान्य अवधि के लम्बे उपयोग के बाद छीजन हुए।

आपत्ति बताए जाने पर (सितम्बर 2008), विभाग ने बताया (अक्टूबर 2009) कि ₹ 33.23 लाख का एक संरक्षात्मक कारण बताओ नोटिस राजस्व की सुरक्षा के लिए निर्धारिती को जारी किया गया था।

2.6.2 इसीप्रकार कोचीन कमिश्नरी में, मै. मरकेम लिमिटेड, उद्योग मंडल में जनवरी 2007 में अग्नि दुर्घटना हुई जिसमें ₹ 37.30 लाख मूल्य के संयंत्र और मशीनरी नष्ट हो गई थी जिस पर क्रेडिट का लाभ पहले ही लिया जा चुका था। यद्यपि, निर्धारिती ने अपने द्वारा दिए गए शुल्क सहित क्षतिग्रस्त माल पर फरवरी 2008 में ₹ 55.53 लाख का बीमा दावा प्राप्त किया फिर भी क्षतिग्रस्त संयंत्र और मशीनरी पर ₹ 5.42 लाख का शुल्क अदा नहीं किया था।

जब हमने इसे बताया (जनवरी 2009), विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2009) कि निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और मांग की पुष्टि हो गई थी। राशि की वसूली के संबंध में और प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

सिफारिश सं. 6

किसी कारणवश पूर्णतः प्रयुक्त न किए गए पूंजीगत माल के मामले में क्रेडिट की वसूली हेतु सेनवेट नियमावली, 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रावधान शामिल करने की व्यवहार्यता की जांच की जाए।

एग्जिट कान्फ्रेंस में, बोर्ड ने स्वीकार किया कि अग्नि द्वारा अथवा अन्यथा नष्ट पूंजीगत माल के मामले में क्रेडिट बट्टे खाते डालने के लिए कोई प्रावधान नहीं था और बताया कि मामले की जांच की जाएगी।

खण्ड बी: अपात्र इनपुट, पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट का लाभ उठाना

हमने ऐसे उदाहरण पाए जहां निर्धारितियों ने प्रयोज्य सामग्री, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल, जो नियमों में अथवा अधिसूचनाओं के माध्यम से विशेष रूप से अननुमत किए गए थे, पर ₹ 530.15 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया।

2.7 सेवाप्रदाताओं द्वारा टावर और टावर के भागों पर क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 और फरवरी 2008 में बोर्ड द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार टावर, टावर के भाग जैसे ऍंगल, चैनेल, स्टील के बीम आदि और टावर उत्थापन, घर बनाने, भंडारण यूनिटों आदि के लिए सेल्यूलर फोन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रयुक्त पूर्व निर्मित शेल्टर/पैनल सेनवेट क्रेडिट का लाभ लेने के लिए पूंजीगत माल के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं हैं।

हमने पाया कि 18 कमिश्नरियों में 25 सेवा प्रदाताओं ने अप्रैल 2004 और मई 2009 के बीच की अवधि के दौरान टावर और टावर के भागों, निर्मित भवन सामग्री/शेल्टर, विद्युत अरेस्टर आदि को गलती से पूंजीगत माल के रूप में उन्हें मान कर ₹ 377.69 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था। विभाग ने पांच मामलों जिनमें ₹ 57.62 करोड़ की सेनवेट राशि अन्तर्ग्रस्त थी, में लेखापरीक्षा अपत्तियों को स्वीकार किया था (दिसम्बर 2010)। दो मामलों में, अहमदाबाद एसटी और मुंबई एसटी कमिश्नरियों में क्रमशः निर्धारित मै. लाम्बडा थेराप्योटिक रिसर्च और मै. बलूमबर्ग डाटा सर्विसेज लि. ने ₹ 39.38 लाख अदा किया था। पांच मामलों में (एक ₹ 45.05 करोड़ के लिए स्वीकार किया गया और चार स्वीकार नहीं किए गए) विभाग ने ₹ 86.77 करोड़ के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किए।

दो दृष्टांत नीचे दिए गए हैं:-

2.7.1 सिलीगुड़ी कमिश्नरी में, मै. रिलायंस टेलीकाम लिमिटेड सिलीगुड़ी और कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में, मै. रिलायंस टेलीकाम कोलकाता ने टावर और टावर भागों के विभिन्न प्रकार को पूंजीगत माल के रूप में मानकर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। चूंकि ये मदें पूंजीगत माल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती थीं इसलिए उन्हें पूंजी गत माल के रूप में मानकर उन पर क्रेडिट का लाभ लेना गलत था। अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान ₹ 12.37 करोड़ का लिया गया लाभ ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2009), विभाग ने ₹ 11.89 करोड़ वाले एक मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (फरवरी 2009)।

2.7.2 कोच्चि कमिश्नरी में, मै. वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर लिमिटेड, एर्नाकुलम ने टावर और उसके हिस्सों को पूंजीगत माल के रूप में मानकर उनपर सेनवेट क्रेडिट का

लाभ लिया। वर्ष 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के दौरान उनपर ₹ 6.32 करोड़ की राशि का लिया गया क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था और वसूल करना था।

जब हमने इसे बताया (अप्रैल 2008), विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2009) कि जुलाई 2008 में निर्धारिती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

2.8 अपात्र इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2 (के) में "इनपुट" लाइट डीजल ऑयल, हाई स्पीड डीजल ऑयल और साधारणतः पेट्रोल के रूप में ज्ञात मोटर स्प्रीट, जो अंतिम उत्पाद के विनिर्माण या उसके संबंध में प्रयुक्त और फैक्टरी में प्रयुक्त पूंजीगत माल चाहे प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः और चाहे अंतिम उत्पाद में समाविष्ट है या नहीं, को छोड़ कर सभी माल के रूप में परिभाषित है। यह विशेष रूप से उल्लेख भी करता है कि पूंजीगत माल के समर्थन के लिए शेडो, भवनों और संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त सीमेंट, ऐंगल, चैनल इनपुट के रूप में प्रमाणित नहीं है।

हमने पाया कि 14 कमिश्नरियों में 22 निर्धारितियों ने ऐसे माल पर ₹ 21.64 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था जो इनपुट की परिभाषा में शामिल नहीं थे और उत्पाद या पूंजीगत माल के विनिर्माण से संबंधित नहीं थे। विभाग ने ₹ 4.67 करोड़ के शुल्क से अन्तर्ग्रस्त चार मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और इन मामलों में से एक में ₹ 1.28 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:-

2.8.1 रांची कमिश्नरी में, कैलसिन्ड एलुमिना, एलुमिन हाइड्रेट आदि (अध्याय 28) के विनिर्माण में लगे मै. हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुरी ने संरचना के उत्थापन, फैक्टरी के विस्तार, सामान्य प्रयोग आदि के लिए इनपुट यथा एमएस प्लेट्स, बीम, चैनल, ऐंगल, वैल्विंग इलैक्ट्रोडस आदि खरीदे। इसके परिणामस्वरूप, सितम्बर 2001 से दिसम्बर 2007 तक की अवधि के दौरान ₹ 5.47 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लिया गया जो ब्याज तथा शास्ति सहित वसूली योग्य था।

जब हमने यह बताया (जून 2009), विभाग ने कार्रवाई नहीं की परन्तु उल्लेख किया कि उनके आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा 2004-05 में मुद्दा उठाया गया था। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रथम बार सितम्बर 2002 में मुद्दा सेरा द्वारा उठाया गया था और पैरा को अद्यतन किया गया था क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब भी, विभाग ने की गई कार्रवाई की सूचना नहीं दी (दिसम्बर 2010)।

2.8.2 हल्दिया कमिश्नरी में, मै. आईओसीएल (आरडी), हल्दिया ने ताजे उत्तम किरोसिन तेल के उत्पादन के लिए अपने मार्केटिंग डिविजन से संदूषित उत्तम किरोसिन तेल लाया और उस पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। उजागर प्रिंटस के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, यह प्रक्रिया विनिर्माण में नहीं आती है क्योंकि इससे कोई नया वाणिज्यिक उत्पाद उद्भूत नहीं होता है। इसलिए, संदूषित उत्तम

किरोसिन तेल सेनवेट क्रेडिट नियमावली के अनुसार ताजे उत्तम किरोसिन तेल के उत्पादन के लिए इनपुट नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.28 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

यह जुलाई 2006 में बताया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और सूचित किया (नवम्बर 2008) कि अक्टूबर 2008 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

2.9 अपात्र पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट

मै. नव भारत फेरो एलॉयाज लिमिटेड {2004 (174) ईएलटी 375} और मै. विवेक एलॉयज लिमिटेड {1998 (98) ईएलटी 156} के मामले में अधिकरण ने निर्णय दिया कि एचआर कॉयल्स, चैनेल्स, प्लेट, हार्ड प्लेट, स्टील, एमएस ऐन्गल, एमएस राउंड्स आदि पूंजीगत माल के रूप में सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र नहीं है क्योंकि ये माल विविध उपयोग वाले सामान्य प्रयोजन मद होने के कारण पूंजीगत माल की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

हमने पाया कि 24 कमिश्नरियों में 43 निर्धारितियों ने इमारती मदों यथा ऐन्गल, प्लेट्स, चैनेल, बीम, ज्वायस्ट, प्लेट, टीएमटी बार, एमएस बार, लाइटिंग, फिटिंग, फर्नीचर, भाडागार के निर्माण के लिए प्रयुक्त सीमेंट, शैड, डिस्टिलरी डिजिजन, मशीनरी के उत्पादन आदि और इसके अतिरिक्त लेडेल कार और रेल (अप्रैल 2003 तथा मार्च 2009 के बीच) पर नियमों एवं न्यायिक निर्णय के उल्लंघन में ₹ 50.49 करोड़ सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था। विभाग ने (अगस्त और नवम्बर 2008) 18 मामलों में जिनमें ₹ 4.81 करोड़ की राशि अन्तर्ग्रस्त थी, में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और ब्याज सहित ₹ 62.51 लाख की वसूली की सूचना दी। विभाग ने आठ स्वीकृत मामलों और एक अस्वीकृत मामले में ₹ 19.67 करोड़ का कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

2.9.1 हैदराबाद II कमिश्नरी में, एयरपोर्ट सेवाएं, कारबार सहायक सेवाएं, अचल सम्पत्ति किराए पर देने आदि जैसी सेवाएं प्रदान करने में लगे मै. जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सीमेंट, टीएमटी बार आदि को पूंजीगत माल के रूप में इन मदों को मानकर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। चूंकि मदें भवन सामग्री थीं और निर्माण कार्य में प्रयोग की गई थीं इसलिए ये पात्र पूंजीगत माल नहीं थे। अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान लिया गया ₹ 8.61 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ ब्याज सहित वसूल करना था।

आपत्ति मार्च 2009 में विभाग को सूचित की गई थी। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

2.9.2 कानपुर कमिश्नरी में, पेंट के विनिर्माण में लगे मै. कंसाई नेरोलेक पेंट्स लिमिटेड ने गैर विनिर्देशित पूंजीगत मदों जैसे ऐंगल, चैनेल, पीएफ बीम, टीएमटी बार, एमएस बार आदि पर 2006-07 और 2007-08 तक के दौरान ₹ 53.42 लाख के सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया जो स्वीकार्य नहीं था। ₹ 53.42 लाख का क्रेडिट ₹ 3.32 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था।

आपत्ति को सूचित किए जाने पर (जनवरी 2008/जुलाई 2008), विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2008) कि निर्धारित फरवरी 2008 में ब्याज सहित ₹ 56.74 लाख जमा करा चुका था।

2.10 निकासी स्थल के बाहर परिवहन पर भुगतान किए गए सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट

बोर्ड ने अपने परिपत्र (अगस्त 2007) के अनुसार स्पष्ट कर दिया था कि विनिर्माता/प्रेषक निकासी स्थल मात्र तक न कि उसके बाहर तैयार माल के आगे परिवहन पर भुगतान किए गए सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट ले सकता है।

हमने पाया कि 44 कमिश्नरियों में 123 निर्धारित निकासी स्थल के बाहर तैयार माल के परिवहन पर भुगतान किए गए सेवा कर के प्रति ₹ 50.38 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट ले चुके थे और ब्याज सहित समस्त राशि वसूली-योग्य थी। बीस कमिश्नरियों ने 47 मामलों में ₹ 6.69 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट वाली लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली थी, जिसमें से 14 मामलों में ₹ 1.48 करोड़ की राशि की वसूली कर ली गई थी। 33 मामलों में ₹ 8.91 करोड़ के एससीएन, 17 कमिश्नरियों द्वारा जारी भी कर दिए गए। दो मामलों के दृष्टान्त नीचे दिये हैं:-

2.10.1 रायपुर कमिश्नरी में, अनेक उत्पाद-शुल्क योग्य माल के उत्पादन में लगे नौ निर्धारितियों ने परिवहन/माल भाड़े प्रभार के भुगतान पर अपने तैयार उत्पादों को फैक्ट्री के गेट से अनेक क्रेताओं के परिसरों तक की निकासी की। इन निर्धारितियों ने परिवहन/माल भाड़े प्रभार पर सेवा कर का भुगतान किया और फैक्ट्री से पार्टी के परिसरों तक सड़क द्वारा माल के बाहर परिवहन के लिए माल भाड़े पर भुगतान किए गए ऐसे सेवा कर के क्रेडिट का लाभ उठाया। सेवा कर की अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान निकासी के स्थान के बाहर परिवहन प्रभारों पर ₹ 6.22 करोड़ के क्रेडिट का लाभ उठाया जाना अनियमित था।

यह बताए जाने पर (मई 2008 से मार्च 2009) विभाग ने एक मामले में ₹ 1.18 लाख की वसूली की सूचना दी (मार्च 2009) और दूसरे दो मामलों में यह बताया गया कि मामले की जाँच की जाएगी। दो मामलों में निर्धारितियों को ₹ 2.16 करोड़ के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे। दूसरे मामले में विभाग ने ₹ 0.30 लाख का एससीएन जारी किया और मार्च 2010 में मांग सुनिश्चित की गई। तीन अन्य मामलों में यह बताया गया (अप्रैल और सितम्बर 2008 के बीच) कि जैसा कि बोर्ड के दिनांक 23 अगस्त 2007 के परिपत्र में स्पष्ट किया गया, क्रेडिट को ऐसे मामलों में लाभ उठाया जा सकता था जहाँ माल के मूल्य में वितरण के स्थान तक परिवहन प्रभार शामिल थे।

विभाग के उत्तर ने यह संकेत नहीं दिया कि क्या तीन मामलों में यह सत्यापित कर लिया था कि निर्धारण योग्य मूल्य में परिवहन प्रभार शामिल थे।

2.10.2 वापी, अहमदाबाद-I, सूरत-II और बडोदरा-II कमिश्नरियों में आठ निर्धारितियों ने जनवरी 2005 और मई 2008 के बीच निकासी स्थल के बाहर बाहरी परिवहन भाड़े

के प्रति भुगतान किए गए सेवा कर के ₹ 1.65 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। क्योंकि क्रेडिट मात्र स्थानान्तरण के स्थान तक बाहरी परिवहन के लिए स्वीकार्य था, उठाए गए क्रेडिट का लाभ नियमित नहीं था और ब्याज सहित वसूली योग्य था।

आपत्ति बताए जाने पर (जनवरी 2005 और मई 2008 के बीच), विभाग ने समस्त लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली और तीन मामलों में (मई 2008 और अक्टूबर 2008 के बीच) ₹ 17.30 लाख (₹ 1.52 लाख के ब्याज सहित) वसूली की और अन्य तीन मामलों में (जुलाई 2008 और सितम्बर 2008 के बीच) ₹ 1.32 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई थी (दिसम्बर 2010)।

2.11 इनपुटों/पूँजीगत माल और छूट प्राप्त माल में उपयोग की गई इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 नियम 6(1) अनुबन्ध करता है कि सेनवेट क्रेडिट को उन इनपुटों/इनपुट सेवाओं पर अनुमत नहीं किया जाना चाहिए जिनका उपयोग छूट प्राप्त माल के उत्पादन/सेवाओं में किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नियम 6(4) प्रावधान करता है कि उन पूँजीगत माल पर कोई क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा जिनका उपयोग मात्र छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में अथवा छूट प्राप्त सेवाओं के प्रदान करने में किया जाता है।

हमने पाया कि 12 कमिश्नरियों में 28 निर्धारितियों ने इनपुटों, इनपुट सेवाओं और पूँजीगत माल जिनका उपयोग मात्र छूट प्राप्त माल के विनिर्माण अथवा सेवाओं में किया गया, पर ₹ 26.27 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था। विभाग ने ₹ 19.58 करोड़ के राजस्व को शामिल करने वाले 13 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की हैं और नौ मामलों में ₹ 17.20 करोड़ की वसूली की सूचना दी है। दो निदर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:-

2.11.1 चण्डीगढ़ कमिश्नरी में, क्लिन्कर और सिमेन्ट को उत्पादन में लगे 10 गगल सीमेन्ट वर्क्स बरमना-एसीसी लिमिटेड (इकाई I और II) ने सीमेन्ट (तेयार माल) जो क्षेत्र आधारित छूट के अर्न्तगत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से पूरी तरह से मुक्त था, के परिवहन पर भुगतान किए गए सेवा कर के सम्बन्ध में बाह्य माल परिवहन एजेन्सी (जीटीए) की सेवाओं का लाभ उठाया। चूंकि अन्तिम उत्पाद परियोजना शुल्क से मुक्त थी, निर्धारिती अप्रैल 2005 से दिसम्बर 2008 की अवधि के लिए दिसम्बर 2008 में लिए गए ₹ 15.72 करोड़ की बाह्य जीटीए सेवा क्रेडिट के लिए पात्र नहीं था।

उसी निर्धारिती में, गगल सीमेन्ट वर्क्स बरमना-एसीसी यूनिट- II ने संयंत्र की स्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए शुल्क प्रदत्त पूँजीगत माल को क्रय किया और इस पर क्रेडिट का लाभ उठाया। चूंकि संयंत्र और मशीनरी का उपयोग निर्माण करने/पीसने/सीमेन्ट की पैकिंग करने के लिए किया गया जिसमें शुल्क की दर शून्य थी, वर्ष 2005-06 और

2006-07 में ₹ 2.16 करोड़ की राशि के क्रेडिट का लाभ उठाना और उपयोग करना उचित नहीं था।

आपत्ति सूचित किए जाने पर (अप्रैल 2007 और फरवरी 2009), विभाग ने पहले वाले मामले को स्वीकार कर लिया और बताया (अप्रैल 2008) कि ₹ 15.72 करोड़ के क्रेडिट को वापिस करवा दिया गया है। पूँजीगत माल पर उठाए गए क्रेडिट के लाभ के दूसरे मामले के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.11.2 पूर्ण III कमिश्नरी में, उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में लगे मै. भारत फोर्ज लिमिटेड ने पहियों के रबड़ीकरण जिसका उपयोग शुल्क के शून्य दर पर प्रतिरक्षा को माल की आपूर्ति में किया गया, के लिए सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। क्योंकि इस सेवा का उपयोग केवल छूट प्राप्त माल के विनिर्माण के लिए किया गया, सेनवेट क्रेडिट स्वीकार्य नहीं था। 2006-07 और 2007-08 तक के वर्षों के दौरान, निर्धारिती ने गलती से ₹ 54.24 लाख जो ब्याज सहित वसूली योग्य था, के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया।

आपत्ति को सूचित किए जाने पर, निर्धारिती ने ₹ 55.56 लाख की राशि को डेबिट किया और ₹ 5.01 लाख के ब्याज का भुगतान किया। विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.12 आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत मूल्यहास और सेनवेट क्रेडिट दोनों का लाभ एक साथ उठाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(4) में प्रावधान है कि पूँजीगत माल के सम्बन्ध में सेनवेट क्रेडिट को पूँजीगत माल के मूल्य के उस भाग के सम्बन्ध में जो ऐसे पूँजीगत माल पर शुल्क की राशि को निरूपित करें, जिसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत विनिर्माता अथवा आउट पुट सेवा दाता मूल्यहास के रूप में दावा करें, अनुमत नहीं किया जाएगा।

हमने पाया कि पाँच कमिश्नरियों में पाँच निर्धारितियों ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत मूल्यहास का दावा किया और 2000-01 से 2006-07 तक के वर्षों के दौरान ₹ 35.31 लाख की राशि के पूँजीगत माल पर भुगतान किए गए शुल्क के सेनवेट क्रेडिट का लाभ भी उठाया। इस की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित थी।

आपत्ति सूचित किए जाने पर (नवम्बर 2007 और अप्रैल 2009 के बीच), विभाग ने ₹ 16.71 लाख के क्रेडिट को शामिल करते हुए तीन मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कीं और मै0 कोल्ड स्टील कोर्पोरेशन, मै0 सिटिजन इस्पात (प्रा.) लिमिटेड और मै0 शाह एल्लोयज लिमिटेड के सम्बन्ध में ₹ 13.48 लाख की वसूली की रिपोर्ट प्रस्तुत की। ₹ 16.26 लाख के एक स्वीकृत मामले में विभाग ने एससीएन जारी किया। एक मामले में उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2010)।

2.13 10 सितम्बर 2004 से पूर्व प्राप्त किए गए इनपुटों/ इनपुट सेवाओं/ पूँजीगत माल पर भुगतान किए गए कर/शुल्क का सेनवेट क्रेडिट

10 सितम्बर 2004 से पहले विनिर्माता इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट लेने के लिए पात्र नहीं थे और सेवा प्रदाता इनपुटों और पूँजीगत माल पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क का सेनवेट क्रेडिट लेने के लिए पात्र नहीं थे। 10 सितम्बर 2004 से प्रारम्भ सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 ने यह सुविधा अनुमत्त की।

हमने पाया कि नौ कमिश्नरियों में 14 निर्धारितियों ने ₹ 2.86 करोड़ का गलत सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया था जो वसूली योग्य था। इसमें वे विनिर्माता शामिल थे जिन्होंने इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट का लाभ उठाया और सेवा प्रदाता जिन्होंने 10 सितम्बर 2004 की निर्णायक तिथि से पहले उनके द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर/ उत्पाद शुल्क पर इनपुटों और पूँजीगत माल पर क्रेडिट का लाभ उठाया। विभाग ने ₹ 24.31 लाख के क्रेडिट को शामिल करते हुए छ मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली थीं और सात मामलों में ब्याज सहित ₹ 25.22 लाख की वसूली की सूचना दी। दो मामलों के दृष्टान्त नीचे दिए हैं:

2.13.1 चेन्नेई सेवा कर कमिश्नरी में, मोबाइल फोन सेवाएं प्रदान करने में लगे मै. एअरटेल लिमिटेड ने 10 सितम्बर 2004 से पहले प्राप्त किए गए पूँजीगत माल पर ₹ 2.04 करोड़ के क्रेडिट का लाभ उठाया। राशि वसूली योग्य थी।

आपत्ति सूचित किए जाने पर (जुलाई 2008), विभाग ने बताया (अक्टूबर 2009) कि निर्धारिती द्वारा दावा की गई मदों को 10 सितम्बर 2004 या उसके बाद उनके परिसर में प्राप्त किया गया था। चूंकि हमारी आपत्ति दिनांक 9 जनवरी 2004 से 9 सितम्बर 2004 तक के बीजकों पर आधारित थी अतः विभागीय उत्तर कुछ दूसरे दावे से सम्बन्धित प्रतीत होता था।

2.13.2 भुवनेश्वर- I कमिश्नरी में, मै. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट एवं मै0 भारती एअरटेल लिमिटेड (सेवा प्रदाताओं) ने 10 सितम्बर 2004 से पहले प्राप्त किए गए इनपुटों और पूँजीगत माल पर जनवरी और फरवरी 2005 के दौरान और फिर अप्रैल 2005 और मई 2006 में ₹ 66.19 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। राशि वसूली योग्य थी।

आपत्ति सूचित किए जाने पर (जनवरी और अप्रैल 2009), विभाग ने मै0 पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते समय सूचित किया कि निर्धारिती ने मार्च 2009 में ₹ 20.28 लाख क्रेडिट वापस कर दिया था। दूसरे मामलों के सम्बन्ध में विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

2.14 परीक्षण चालन के लिए उपयोग किए गए इनपुटों पर क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट निमावली, 2004 का नियम 2(के) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्याक्ष रूप से तैयार किए गए उत्पादों के विनिर्माण में अथवा इसके सम्बन्ध में उपयोग किया गया माल "इनपुटों" को परिभाषित करता है। मै. रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सूरत (2004 173 ईएलटी 106) के मामले में निर्णय किया गया कि परीक्षण चालन उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट मोडवेट/ सेनवेट क्रेडिट के लिए पात्र नहीं है

हमने पाया कि चार कमिश्नरियों में पाँच निर्धारितियों ने परीक्षण चालन के लिए उपयोग किए गए इनपुटों पर ₹ 46.91 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। मामलों में से दो के दृष्टान्त निम्नलिखित हैं:

गुडगाँव और फरीदाबाद कमिश्नरियों में, स्कूटरो, मोटर गाड़ियों, रेफ्रिजरेटरों और उनके पुरजों के विनिर्माण में लगे मै. होण्डा मोटर साइकिल और स्कूटर इण्डिया लिमिटेड, और मै0 व्हिर्लपूल ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने 2006-07 से 2007-08 की अवधि के दौरान उत्पादन के परीक्षण चालन के लिए ₹ 46.03 लाख के मूल्य के विभिन्न इनपुटों का उपयोग किया। निर्धारितियों ने ऐसे इनपुटों पर ₹ 7.55 लाख का सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और उस पर किया गया, व्यय पूँजीकृत था। उपर्युक्त वैधिक स्थिति की शर्तों में, ₹ 7.55 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाना अनियमित था और ब्याज के साथ-साथ वापस किए जाने की आवश्यकता थी।

खण्ड सी: क्रेडिट को वापिस न करना

हमने ऐसे दृष्टान्तों का पता लगाया जहाँ ₹ 1,356.30 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट यथा अपेक्षित नियमों द्वारा वापस नहीं किया गया और उसने निर्धारितियों के पास क्रेडिट के संचयन को बढ़ा दिया।

2.15 जॉब वर्कर को भेजे गए माल पर क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट निमावली, 2004 का नियम 4(5)(ए) सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाने की अनुमति देता है जहाँ उसी रूप में अथवा आंशिक रूप में संसाधित किए जाने के बाद, आगे संसाधित करने, जाँच करने, मरम्मत, सुधार करने के लिए अथवा तैयार माल के विनिर्माण के लिए अथवा किसी दूसरे उद्देश्य के लिए आवश्यक मध्यम माल के विनिर्माण के लिए जॉब वर्कर के लिए इनपुटों अथवा पूँजीगत माल की निकासी की जाती है। नियमावली में प्रावधान है कि जहाँ जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुटों अथवा पूँजीगत माल को पुनः 180 दिनों के अन्दर वापस प्राप्त नहीं किया जाता है, विनिर्माता ऐसे इनपुटों अथवा पूँजीगत माल पर देय सेनवेट क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा।

हमने पाया कि 22 कमिश्नरियों में 38 निर्धारितियों ने उत्पाद शुल्क योग्य माल जिसमें ₹ 2.72 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट शामिल था को संसाधित करने के लिए जॉब वर्करो को भेजा था लेकिन उनको 180 दिनों की नियत अवधि की चूक के बाद वापस नहीं किया गया। अतः ₹ 2.72 करोड़ ब्याज सहित वसूली करने योग्य था। विभाग ने 24 मामलों में ₹ 1.79 करोड़ के क्रेडिट को शामिल करने वाले लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार कर लिया था और 25 मामलों में ₹ 1.62 करोड़ की वसूली की सूचना दी। 14 मामलों में ₹ 2.22 लाख का ब्याज निर्धारितियों द्वारा भुगतान भी किया गया। दो निदर्शी मामलों को नीचे दिया गया है:-

2.15.1 हैदराबाद I कमिश्नरी में, मै. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और मै. डेनिसॉन हाईड्रॉउल्लिक्स इण्डिया लिमिटेड और हैदराबाद IV कमिश्नरी में म. पुज्जालोना मशीन फेब्रीकेटर्स ने 180 दिनों की स्वीकार्य अवधि बीतने के बाद भी जॉब वर्करो को भेजे गए माल को वापस नहीं किया। तथापि, निर्धारितियों ने इन इनपुट माल के देय सेनवेट क्रेडिट के समतुल्य ₹ 1.28 करोड़ (ब्याज को शामिल करके) का भुगतान नहीं किया।

जब हमने इसे सूचित किया (अगस्त 2008), विभाग ने सभी तीन मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कीं (अगस्त 2009 से अगस्त 2010) और ब्याज सहित ₹ 1.28 करोड़ की वसूली सूचित की।

2.15.2 रायपुर कमिश्नरी में, मै. अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमिटेड, भाटापारा ने ठेके के कार्यकर्ता को अनेक इनपुट और पूँजीगत माल भेजे लेकिन उनको 180 दिन के बाद वापस नहीं किया गया। इन इनपुटों और पूँजीगत माल पर लगने वाला ₹ 43.60 लाख का सेनवेट क्रेडिट वसूली योग्य था।

इसे सूचित किए जाने पर (सितम्बर 2008), विभाग ने बताया कि मामलों की जाँच की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी (दिसम्बर 2010)।

2.16 फ़ैक्ट्री में उत्पादन के लिए उपयोग न किए गए इनपुटों पर लिया गया क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में प्रावधान है कि तैयार उत्पाद के विनिर्माता को इनपुटों और पूँजीगत माल की प्राप्ति, निपटान, खपत और माल सूची के उचित अभिलेखों का रखरखाव करना होता है। तैयार माल के विनिर्माण में उपयोग न किए गए इनपुटों और पूँजीगत माल क्रेडिट के योग्य नहीं हैं और यदि किसी क्रेडिट का लाभ लिया जाता है तो उसका वापिस लौटाया जाना अथवा वापस भुगतान किया जाना होता है।

हमने पाया कि 12 कमिश्नरियों में 15 विनिर्माताओं ने इनपुटों जिनको विनिर्माण के लिए उपयोग में नहीं लाया गया, के सम्बन्ध में ₹ 14.69 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। विभाग ने तीन मामलों में जिनमें ₹ 17.74 लाख का शुल्क शामिल था, में लेखा परीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार कर ली है और एक मामले में ₹ 1.11 लाख की वसूली की सूचना दी है। दो ऐसे मामलों को नीचे प्रकाश में लाया गया है:

2.16.1 हमने पाया कि जमशेदपुर कमिश्नरी में, कच्चा लोहा, गर्म धातु, छड़ों, एचआर कुण्डली, सीआर कुण्डली, तार दण्ड आदि के विनिर्माण में लगे मै. टाटा स्टील लिमिटेड बिसतपुर की वार्षिक विवरणियों (ईआर-4) ने दर्शाया कि इस फर्म ने 2006-07 और 2007-08 के दौरान 174.91 लाख टन लौह अयस्क क्रय किया और इनपुटों पर भुगतान किए गए शुल्क के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। तथापि, लौह अयस्क की प्राप्ति और खपत की मासिक प्रतिवेदनो (ईआर-6 रिटर्न) का जोड़ निकालने पर इस अवधि के दौरान प्राप्त किए गए लौह अयस्क की कुल मात्रा 161.53 लाख टन निकली। लौह अयस्क के 13.38 लाख टन के अन्तर का उत्पादन में उपयोग नहीं किया गया जैसा कि ईआर-6 रिटर्न से स्पष्ट था। अतः, 13.38 लाख टन लौह अयस्क पर ₹ 9.64 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इसे बताया (दिसम्बर 2008), विभाग ने सूचित किया कि एससीएन जारी किए जा रहे थे।

2.16.2 भोपाल कमिश्नरी में, सोप एवं डिटरजेंट के विनिर्माण में लगे मैसर्स हिन्दुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड (पहले हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के रूप में ज्ञात) छिन्दवाड़ा ने कतिपय इनपुटों पर प्रदत्त शुल्क का सेनवेट क्रेडिट लिया। सामग्री मैसर्स खुराना ओलियो केमिकल्स, नालागढ़, सोलन, हिमाचल प्रदेश को सीधे सपुर्द की गई थी जो निर्धारिती की ओर से कार्य कर रहा था। उसके पश्चात् सोलन (एचपी) से निर्धारिती द्वारा बीजक प्राप्त किए गए थे और पूर्वोक्त इनपुट पर प्रदत्त शुल्क के सेनवेट क्रेडिट लेने मात्र के लिए उपयोग किया गया था। चूँकि निर्धारिती ने इनपुट प्राप्त नहीं किया इसलिए प्राप्ति, खपत, मालसूची इत्यादि के अभिलेख नहीं रखे गए थे। इस प्रकार, निर्धारिती ने उत्पादन फैक्टरी में न प्राप्त इनपुट सामग्री पर और उचित अभिलेख रखे बिना प्रदत्त शुल्क का सेनवेट क्रेडिट लिया। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2006 से नवम्बर 2007 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.32 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ उठाया गया जिसको वापस किया जाना अपेक्षित था।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 2008) विभाग ने बताया (फरवरी 2009) कि कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था। मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

2.17 माल के मूल्य की कमी पर क्रेडिट की वसूली न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के अन्तर्गत विनिर्माताओं द्वारा इनपुटों, इनपुट सेवाओं और पूँजीगत माल पर वास्तविक रूप में प्रदत्त शुल्क के क्रेडिट का लाभ उठाया जाना था।

हमने पाया कि गुडगाँव कमिश्नरी में पाँच निर्धारितियों ने ₹ 54.09 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट को वापिस नहीं किया था हालाँकि इसने कच्ची सामग्री की कीमतों में पूर्व प्रभाव से कमी, वारंटी की विफलता इत्यादि के कारण आपूर्तिकार से प्रतिदाय प्राप्त किया था। सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित वसूली योग्य थी। दो निदर्शी मामले नीचे दिए जाते हैं:-

2.17.1 गुडगाँव कमिश्नरी में, मैसर्स हीरो होंडा मोटर्स, गुडगाँव, मैसर्स मारुति सुज्जिकी इंडिया लिमिटेड गुडगाँव और मैसर्स हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, धारूहेड़ा

(रिवाड़ी) ने विभिन्न विक्रेताओं से इनपुट/कच्ची सामग्री की खरीद की और 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। इन कच्ची सामग्री की कीमत में पूर्व प्रभाव से कमी के कारण निर्धारितियों ने डेबिट नोटों के माध्यम से पक्षकारों/विक्रेताओं से शुल्क सहित ₹ 324.79 करोड़ की अधिक राशि वसूल की। तथापि, निर्धारितियों ने वसूल की गई राशि पर ₹ 53.35 करोड़ के लाभ उठाये गए तदनुसूची सेनवेट क्रेडिट का पुनः भुगतान नहीं किया।

2.17.2 गुडगाँव कमिश्नरी में, मैसर्स जय भारत मारुति लिमिटेड, गुडगाँव ने अप्रैल से अगस्त 2005 के दौरान मैसर्स नील मेटल प्रोडक्ट्स, गुडगाँव से एसएस ब्लैंकस खरीदे और एसएस ब्लैंकस के मूल्य पर प्रदत्त शुल्क के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। निर्धारितियों ने अधिक प्रभारित ₹ 3.64 करोड़ की वसूली करने के लिए 31 अगस्त 2005 को डेबिट नोट भेजे। इस प्रकार वसूल किए गए मूल्य में उत्पाद शुल्क शामिल था। तथापि, वर्द्धित मूल्य पर लाभ उठाये गए ₹ 59.43 लाख के सेनवेट क्रेडिट का पुनः भुगतान नहीं किया गया था।

जब हमने इसे बताया (अक्तूबर 2006 और मार्च 2009 के बीच), विभाग ने अगस्त 2007 में ₹ 59.43 लाख के लिए मैसर्स जय भारत मारुति लिमिटेड को कारण बताओं नोटिस जारी किया। मैसर्स हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, गुडगाँव के मामले में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार नहीं की और सूचित किया (नवम्बर 2010) कि ₹ 15.68 करोड़ की रक्षात्मक माँग दिसम्बर 2008 तक की अवधि शामिल करते हुए जून 2009 में की गई थी। शेष दो मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2010)।

2.18 अग्नि में क्षतिग्रस्त इनपुट अथवा विनिर्मित माल

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 21 के साथ पठित सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 का नियम 3(5)(सी) उन माल में प्रयुक्त इनपुटों पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट की वापिस का प्रावधान करता है जो माल प्राकृतिक कारणों अथवा दुर्घटनाओं से नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

हमने पाया कि पाँच कमिश्नरियों में पाँच निर्धारितियों ने अग्नि में क्षतिग्रस्त इनपुट/तैयार माल पर ₹1.68 करोड़ के क्रेडिट को वापस नहीं किया। विभाग ने ₹ 23.06 लाख के क्रेडिट वाले चार मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और चार मामलों में ब्याज सहित ₹ 24.01 लाख की वसूली सूचित की। दो निदर्शी मामले नीचे दिए जाते हैं:

2.18.1 नोएडा कमिश्नरी में, फिल्म के विनिर्माण में लगे मैसर्स यूफ्लेक्स लिमिटेड, नोएडा के फैक्टरी परिसर में आग लगी थी और ₹ 6.03 करोड़ मूल्य के इनपुट, अर्ध तैयार माल, तैयार माल, पूँजीगत माल इत्यादि का नुकसान हुआ था जिस पर सेनवेट क्रेडिट पहले ही लिया जा चुका था। निर्धारितियों ने अप्रैल 2007 में अग्नि से क्षतिग्रस्त इनपुट और माल के मूल्य के सम्बन्ध में बीमा कम्पनी से ₹ 3.92 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त की थी। तथापि, क्षतिग्रस्त माल पर ₹ 96.63 लाख के देय सेनवेट क्रेडिट का भुगतान नहीं किया गया था।

जब हमने इसे बताया (अक्टूबर 2008), विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2009) कि निर्धारिती ने अग्नि में क्षतिग्रस्त कच्ची सामग्री पर ₹ 8.96 लाख के सेनवेट क्रेडिट को वापिस अदा किया और अग्नि में क्षतिग्रस्त अन्य माल पर शेष सेनवेट क्रेडिट को वापिस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। सभी इनपुट और अन्य माल का उपयोग अंतिम उत्पाद के विनिर्माण में हुआ था और ऐसे माल पर सेनवेट का लाभ उठाया गया था। अतएव, निर्धारिती उस माल पर लाभ उठाये गए सभी सेनवेट क्रेडिट को वापिस करने के लिए दायी था।

2.18.2 हैदराबाद-IV कमिश्नरी में, वीआरएलए बैटरीज के विनिर्माण में लगे मैसर्स एनईडी इनर्जी लिमिटेड के भंडार में फरवरी 2008 में आग लगी थी। ₹ 100.59 लाख (₹ 12.95 लाख के सेनवेट सहित) के मूल्य वाली कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री का स्टॉक क्षतिग्रस्त हो गया था। निर्धारिती ने बीमा दावा के प्रति अप्रैल 2008 में ₹ 75.89 लाख की क्षतिपूर्ति प्राप्त की। तथापि, क्षतिग्रस्त इनपुटों पर लाभ उठाये गए ₹ 12.95 लाख का सेनवेट क्रेडिट इस आधार पर निर्धारिती द्वारा वापिस नहीं किया गया था कि बीमा दावा करते समय सेनवेट को छोड़ दिया गया था। यह विचार मान्य नहीं था क्योंकि बीमा दावा की प्राप्ति को ध्यान दिए बिना सेनवेट क्रेडिट को वापिस किया जाना था क्योंकि अग्नि से नष्ट हुए इनपुट विनिर्माण में उपयोग के लिए अब उपलब्ध नहीं थे।

आपत्ति को बताये जाने पर विभाग ने ₹ 12.95 लाख के क्रेडिट और ₹ 0.95 लाख के ब्याज की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2008)।

2.19 क्रेडिट वापिस करने अथवा शुल्क भुगतान किए बिना पूँजीगत माल की निकासी

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5) के अनुसार, जब पूँजीगत माल जिस पर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, को फैक्टरी से अथवा आउटपुट सेवा के प्रदाता के परिसर से मूलरूप में हटाया जाता है तब विनिर्माता अथवा आउटपुट सेवा के प्रदाता ऐसे पूँजीगत माल के सम्बन्ध में लाभ उठाये गए क्रेडिट के समतुल्य राशि का भुगतान करेंगे और ऐसी निकासी पूर्वोक्त नियमावली के नियम 9 के सन्दर्भ में एक बीजक के कवर के अन्तर्गत रहेगी।

हमने पाया कि 8 कमिश्नरियों में 13 निर्धारितियों ने पूँजीगत माल की निकासी जिस पर ₹ 889.17 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया गया था फैक्टरी अथवा परिसर से क्रेडिट की वापिसी अथवा शुल्क के भुगतान के बिना की थी। विभाग ने ₹ 60.85 लाख के क्रेडिट वाले चार मामलों में आपत्तियाँ स्वीकार की और दो मामलों में ₹ 12.39 लाख की वसूली की। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं :-

2.19.1 चंडीगढ़ कमिश्नरी में, "सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज" उपलब्ध कराने में कार्यरत मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, शिमला ने ₹ 6,558.21 करोड़ मूल्य के पूँजीगत माल "मैसर्स भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड" को हस्तांतरित किया और शुल्क भुगतान अथवा क्रेडिट वापिस किए बिना और 2004-05 से 2007-08 तक के वर्षों के

दौरान कम्पनी हस्तांतरण/बिक्री के लिए कोई बीजक भेजे बिना ₹ 3.12 करोड़ मूल्य का पूँजीगत माल भी बेचा। चूँकि पूँजीगत माल पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क के सेनवेट क्रेडिट लिया गया था इसलिए निर्धारिती से ₹ 839.39 करोड़ का शुल्क भुगतान अपेक्षित था।

जब हमने इसे बताया (फरवरी 2009) तब विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2009) कि ₹ 23.38 करोड़ का एससीएन जारी किया जा रहा था। यह भी बताया गया था कि शेष राशि के सम्बन्ध में मामले की आगे जाँच की जा रही थी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

2.19.2 इसी प्रकार, भुवनेश्वर I कमिश्नरी में, दूरसंचार, कारोबार अनुषंगी सेवा इत्यादि जैसी सेवाएँ देने में लगे मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड ने 2005-06 से 2007-08 तक के वर्षों के दौरान पूँजीगत माल जैसे डीजी सेट, दूरसंचार उपस्कर, बैटरी मोड्यूलर बाक्स इत्यादि पर ₹ 47.25 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और उसको अपने परिसर से उस पर लाभ उठाए गए क्रेडिट के समतुल्य राशि के भुगतान के बिना विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों को निकासी की। उसे न तो अनुबद्ध अवधि के भीतर लौटाया गया था न ही ऐसी अवधि बढ़ाने के लिए विभाग से कोई अनुमति प्राप्त की गई थी।

जब हमने इसे बताया (मई 2009), विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2009) कि आउटपुट सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय गट्ठनों में निर्धारिती द्वारा माल का उपयोग किया गया था, सेनवेट क्रेडिट को लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मर्दों को एक इकाई से दूसरी इकाई में भेजा गया था और ऐसी परिस्थितियों में क्रेडिट की वापिसी के लिए नियम में प्रावधान था।

2.20 शुल्क योग्य एवं छूट प्राप्त माल का पृथक लेखा न रखना

जब सांझे इनपुट पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है जिनका उपयोग शुल्क योग्य माल सहित छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में होता है और उनके उपयोग के पृथक लेखा नहीं रखा जाता है तब विनिर्माता निकासी के समय प्रभारित करों को छोड़कर छूट प्राप्त माल की कुल कीमत के आठ प्रतिशत (10 सितम्बर 2004 से दस प्रतिशत) के समतुल्य राशि का भुगतान करेगा।

8/10 प्रतिशत की एकमुश्त राशि सेनवेट क्रेडिट की वापिसी के लिए भुगतान की जाती है एवं क्रेडिट का लाभ इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए लिया गया था जिसका उपयोग छूटप्राप्त माल के विनिर्माण में किया गया था किन्तु उन इनपुटों और इनपुट सेवाओं के लिए पृथक लेखा नहीं रखा गया था। हमने पाया कि 34 कमिश्नरियों में 58 विनिर्माताओं ने छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों की निकासी पर ₹ 178.52 करोड़ का भुगतान नहीं किया था हालाँकि सामान्य इनपुटों पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ पृथक लेखा रखे बिना उठाया गया था। विभाग ने ₹ 28.74 करोड़ की राशि वाले 25 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की (जनवरी 2008 और अप्रैल 2009 के बीच) और 13 मामलों में ₹ 42.84 करोड़ के एससीएन को जारी करने के अलावा 19 मामलों में ₹ 1.76 करोड़ की वसूली सूचित की। दो निदर्शी मामले नीचे दिए जाते हैं:

2.20.1 कोच्चि कमिश्नरी में, मैसर्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (उद्योगमंडल डिवीजन और पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन) ने दो प्रमुख उप उत्पादों अर्थात् लैक्टम अमोनियम सल्फेट और आक्सीम अमोनियम सल्फेट की शुद्धिकरण और क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया द्वारा अमोनियम सल्फेट के विनिर्माण में उपयोग के लिए उद्योग मंडल डिवीजन को निकासी की। अमोनियम सल्फेट की निकासी शुल्क की शून्य दर के अन्तर्गत फर्टिलाइजर के रूप की गई थी। पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन में निर्धारिती ने मुख्य कच्ची सामग्री अर्थात् बैन्जीन, कास्टिक सोडा, भट्टी तेल, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, एचडीपीई बैग जैसी पैकिंग सामग्री इत्यादि पर क्रेडिट का लाभ उठाया था जिनका उपयोग पूर्वोक्त उप-उत्पाद प्राप्त करते हुए किया गया था। पृथक लेखा उन उप उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री के लिए नहीं रखे गए थे जिनका आगे उपयोग छूट प्राप्त माल अर्थात् अमोनियम सल्फेट के विनिर्माण में किया गया था। निर्धारिती ने 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान ₹ 363.33 करोड़ मूल्य के अमोनियम सल्फेट की निकासी की जिस पर ₹ 36.34 करोड़ (₹ 363.33 करोड़ का 10 प्रतिशत) की राशि ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

इस आपत्ति को बताये जाने पर (अगस्त 2006 और अप्रैल 2008), विभाग ने बताया (अक्टूबर 2009) कि तीन रक्षात्मक कारण बताओ नोटिस निर्धारिती को जारी किए गए थे। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

2.20.2 चेन्नई III कमिश्नरी में, मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बायलर आक्सीलरीज प्लांट), रानीपेट ने अतिरिक्त सीमाशुल्क/प्रतिकारी शुल्क के भुगतान पर कतिपय कच्ची सामग्री का आयात किया और बायलर आक्सीलरीज के विनिर्माण के लिए प्रयोग किया जिसकी निकासी शुल्क भुगतान पर की गई थी और जब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली (आईसीबी) के अन्तर्गत कवर की गई विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए आपूर्त की गई थी तो छूट प्राप्त मद के रूप में की। निर्धारिती ने छूटप्राप्त और शुल्क योग्य माल में इनपुट के उपयोग का पृथक लेखा नहीं रखा था। अतएव, अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के अन्तर्गत 2007-08 और 2008-09 (सितम्बर 2008 तक) के दौरान ₹ 138.21 करोड़ मूल्य की छूटप्राप्त निकासी के मूल्य का 10 प्रतिशत के रूप में ₹ 13.82 करोड़ की राशि ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

लेखापरीक्षा आपत्ति अप्रैल 2009 में विभाग को सूचित की गई थी, उसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

2.21 क्रेडिट वापिस अथवा शुल्क भुगतान किए बिना इनपुट की मूल रूप में निकासी

जब इनपुट जिसपर सेनवेट क्रेडिट लिया गया है, को फैक्टरी से अथवा आउटपुट सेवाओं के प्रदाता के परिसर से मूल रूप में हटाया जाता है तब अंतिम उत्पाद अथवा आउटपुट सेवा के प्रदाता से लाभ उठाये गए क्रेडिट की समतुल्य राशि का भुगतान अपेक्षित होता है और ऐसी निकासी बीजक के कवर के अन्तर्गत की जानी होती है।

हमने पाया कि 31 कमिश्नरियों में 77 निर्धारितियों ने इनपुट की निकासी जैसे सहयोगी इकाइयाँ अथवा बाह्य क्रेताओं को करने पर ₹ 15.80 करोड़ (अप्रैल 2000 और मार्च

2008 के बीच) के शुल्क का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने ₹ 2.08 करोड़ के राजस्व वाले 24 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और 16 मामलों में ₹ 1.07 करोड़ की वसूली सूचित की। एक निदर्शी मामला नीचे दिया जाता है:

चंडीगढ़ II कमिश्नरी में, मैसर्स एलआर एलायज लिमिटेड ने ₹ 17.21 टन की कच्ची सामग्री की निकासी की जिस पर ₹ 42.80 लाख के लाभ उठाये गए क्रेडिट के समतुल्य राशि हटाते समय भुगतान की जानी अपेक्षित थी। हमने पाया कि मात्र ₹ 22 लाख की राशि निर्धारिती द्वारा वापिस की गई थी। ₹ 20.80 लाख की कम वापिसी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित थी।

आपत्ति बताये जाने पर (जून 2008) विभाग ने बताया (जुलाई 2008) कि निर्धारिती ने नकद में ₹ 0.90 लाख के ब्याज भुगतान के अलावा क्रेडिट खाते से ₹ 20.80 लाख का भुगतान किया।

2.22 एसईजेड के डेवलपर/ठेकेदार को निकासी किए गए माल

जहाँ एक विनिर्माता छूटप्राप्त माल के विनिर्माण अथवा सेवाओं प्रयुक्त इन इनपुट अथवा इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाता है और एक पृथक लेखा नहीं रखता है, वहाँ छूट प्राप्त उत्पाद के मूल्य के 10 प्रतिशत की समतुल्य राशि सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6(3) (बी) के अन्तर्गत उद्ग्राह्य है। पूर्वोक्त नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार नियम 6(3)(बी) के प्रावधान विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की यूनिट अथवा 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख यूनिट के लिए निकसित माल के लिए लागू नहीं है।

हमने पाया कि 7 कमिश्नरियों में 9 निर्धारितियों ने एसईजेड के डेवलपर्स, को-डेवलपर्स और ठेकेदारों को निकासी किए गए माल के सम्बन्ध में नियम 6(6) के अन्तर्गत छूट का गलत रूप से लाभ उठाया गया था। वे ₹ 36.51 करोड़ अर्थात् छूट प्राप्त माल के मूल्य की 10 प्रतिशत की राशि के भुगतान के लिए दायी थे। विभाग ने मैसर्स महावीर स्टील लिमिटेड के मामले में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और ₹ 2.30 लाख की वसूली की। विभाग का उत्तर अन्य मामलों में प्राप्त नहीं हुए थे। दो ऐसे मामलों का उल्लेख नीचे किया जाता है:

2.22.1 पुणे I कमिश्नरी में, मैसर्स थर्मैक्स लिमिटेड ने सितम्बर 2007 और फरवरी 2009 के बीच अवधि के दौरान एसईजेड के को-डेवलपर्स जैसे मै. रिलायन्स यूटिलिटी लिमिटेड और मै. बायो-टैक सर्विसिज़ प्रा. लिमिटेड को ₹ 237.17 करोड़ मूल्य के तैयार माल की निकासी की। चूँकि माल एसईजेड के डेवलपर्स को आपूर्त किए गए थे जो माल के विनिर्माण में कार्यरत नहीं थे, नियम 6(6) के अन्तर्गत छूट स्वीकार्य नहीं थी। निकसित माल छूटप्राप्त माल के रूप में माने जाने चाहिए और ₹ 23.72 करोड़ (मूल्य का 10 प्रतिशत) की राशि की वसूली की जानी अपेक्षित थी।

2.22.2 चेन्नई II में, मै. कनिष्क स्टील इण्डस्ट्रीज़ लि., गुमीडिपोन्डी, मै इलैक्ट्रो स्टील कार्स्टिंगस लिमिटेड और मै. विक्की इन्डस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड, कोयम्बतूर में मै. ईएलजीआई इक्युपमेंटस लिमिटेड और पुदुचेरी कमिश्नरियों में मै. लीनावो इण्डिया प्रा. लिमिटेड ने अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2007 की अवधि के दौरान एसईजैड के डेवलपर्स/ठेकेदारों को शुल्क के भुगतान के बिना ₹ 473.88 करोड़ के मूल्य के अन्तिम उत्पादों की निकासी की। चूंकि एसईजैड के डेवलपर्स/ठेकेदारों को नियम 6(6) के अन्तर्गत छूट अनुमत नहीं थी और निर्धारितियों ने अलग से लेखे नहीं रखे थे अतः वे निकासियों के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत ₹ 4.74 करोड़ की राशि के भुगतान के लिए दायी थे।

जब हमने यह इंगित किया (जनवरी 2009) तो विभाग ने बताया कि 30 दिसम्बर 2008 तक की अवधि के लिए मै. लीनावो इण्डिया प्रा.लि. के मामले में एससीएन जारी की जा रही थी। शेष मामलों में, विभाग ने बताया (अक्टूबर 2009), कि एसईजैड अधिनियम 2005 की धारा 2 (एम) के अनुसार डीटीए से एसईजैड यूनिट या एसईजैड डेवलपर को आपूर्ति "निर्यात" संघटक परिभाषित किया गया था और सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(6) (v) में आता है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमावली, 2002 के अन्तर्गत वास्तविक निर्यात नियम 6(6) (v) कवर करता है। जबकि एसईजैड/एसईजैड डेवलपर को 31 दिसम्बर 2008 से किये गये निर्यात विशिष्ट रूप से नियम 6(6)(i) कवर करता है। अतः इस तारीख से पहले एसईजैड/एसईजैड डेवलपर के लिए की गई निकासी पर छूट उपलब्ध नहीं थी।

2.23 वापस अदा किये गये क्रेडिट पर ब्याज का नहीं लगाया जाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 में निर्दिष्ट है कि जहां सेनवेट क्रेडिट गलत ढंग से लिया गया है या उपयोग किया गया हो, वहां उसे विनिर्माता या सेवा प्रदाता से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए और ऐसी वसूलियां करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों सहित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 एबी और वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 73 और 75 के प्रावधान लागू होंगे।

हमने पाया कि 12 कमिश्नरियों में 37 निर्धारितियों ने ₹ 14.30 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट का लाभ गलत ढंग से लिया था और बाद में प्रतिवर्तित या वापस भुगतान किया था परन्तु विलम्बित भुगतान के लिए ₹ 2.85 करोड़ का ब्याज नहीं अदा किया था। विभाग ने, ₹ 13.47 लाख की वसूली वाले 11 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की और सात मामलों में ₹ 5.90 लाख वसूल किये और तीन मामलों में ₹ 11.13 लाख के लिए एसएनसी जारी किये थे। एक व्याख्यात्मक उदाहरण नीचे दिया गया है:-

भुवनेश्वर-I कमिश्नरी में, आयरन और स्टील, एलुमिनियम इनगट, कलसाइन्ड एलमिना आदि के विनिर्माण में कार्यरत मै राना स्पॉन्ज लिमिटेड, मै नाल्को (एसपी), मै वेदान्ता एलुमिनियम, मै जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड और मै. वीज़ा स्टील लिमिटेड और भुवनेश्वर-II कमिश्नरी में मै. हिन्डालको इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड ने इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल पर मई 1999 और मार्च 2008 के बीच गलत या अधिक लिए गये

₹ 5.61 करोड़ के क्रेडिट का फरवरी 2005 और मार्च 2008 के बीच वापस किया। उस पर ₹ 57.77 लाख का देय ब्याज उन्होंने अदा नहीं किया।

आपत्ति बताये जाने पर (जनवरी और फरवरी 2009), विभाग ने बताया (अक्टूबर 2009), कि पांच मामलों के संबंध में (भुवनेश्वर I) ब्याज वसूली योग्य नहीं था क्योंकि उन निर्धारितियों ने क्रेडिट का उपयोग नहीं किया था।

उत्तर नियमों के विपरीत था। ब्याज लगाने के लिए क्रेडिट का उपयोग कोई पूर्व-शर्त नहीं थी और नियम 14 में भी जहां क्रेडिट गलत ढंग से "लिया गया" हो वहां ब्याज की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त मै. हिन्डालको इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के संबंध में विभाग ने बताया (सितम्बर 2009), कि ब्याज वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी। आगे के परिणाम प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2010)।

2.24 रद्दी और छीजन के रूप में पूंजीगत माल का बिक्री

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की अनुसूची के उपयुक्त शीर्ष के अन्तर्गत निकासी की तारीख पर प्रचलित दर पर लेनदेन मूल्य पर विनिर्माण के दौरान उत्पन्न रद्दी और छीजन, शुल्क आकर्षित करती हैं। सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(5ए) में रद्दी और छीजन के रूप में निकासी किये गये पूंजीगत माल के लेनदेन माल पर शुल्क प्रभारित करना निर्दिष्ट है।

हमने पाया कि पाँच कमिश्नरियों में पांच निर्धारितियों ने रद्दी और छीजन के रूप में बिक्री किये गये पूंजीगत माल पर ₹ 1.12 करोड़ के शुल्क का भुगतान नहीं किया था। विभाग ने सूचित किया कि मै अवदोस आयल्स प्रा.लिमिटेड के मामले में ₹ 16 लाख का क्रेडिट वापस किया गया था। दो व्याख्यात्मक मामले नीचे दिये गये हैं:

2.24.1 गुवाहाटी कमिश्नरी में, पैट्रोलियम उत्पादों के विनिर्माण में कार्यरत में इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (गुवाहाटी रिफाइनरी) ने बायलर, केरोसीन ट्रीटिंग प्लान्ट, केटीयू का कम्प्रसर आदि जैसे पूंजीगत माल के रद्दी और छीजन की बिक्री की, परन्तु उनकी निकासी पर शुल्क नहीं अदा किया। 2006-07 और 2007-08 के दौरान ऐसे रद्दी और छीजन की बिक्री पर निर्धारितियों ने ₹ 1.51 करोड़ की राशि प्राप्त की और उसके प्रति ₹ 24.12 लाख का उत्पाद शुल्क (लेनदेन मूल्य का 16 प्रतिशत) वसूली-योग्य था।

आपत्ति मई 2009 में बताई गई थी, विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)

2.24.2 जमशेदपुर कमिश्नरी में, आयरन और स्टील उत्पादों के विनिर्माण में कार्यरत मै. बिहार स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड ने रद्दी और छीजन के रूप में, ₹ 3.04 करोड़ के मूल्य के पूंजीगत माल की, अप्रैल 2006 से मार्च 2007 की अवधि के दौरान निकासी की। चूंकि ऐसे छीजन वाले पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया गया था, ₹ 54.27 लाख का उत्पाद शुल्क उगाही योग्य था जो कि निर्धारितियों द्वारा अदा नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2007), विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2010) कि ₹ 65.00 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जून 2010 में निर्धारिती को जारी किया गया था। आगे के परिणाम प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2010)।

2.25 गैर कर-योग्य सेवा

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) (सी) में प्रावधान है कि कोई सेवा प्रदाता, जो कर-योग्य और छूट प्राप्त दोनों सेवाएं मुहैया कराता है, को कर-योग्य और छूट-प्राप्त सेवाओं में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं के अलग लेखे रखने होते हैं ताकि गैर-कर योग्य आउटपुट सेवाओं पर वह क्रेडिट का लाभ न उठा सके। यदि वह अलग लेखे रखना पसन्द न करे, तो उसे उस राशि तक के क्रेडिट का उपयोग करना चाहिए जो कर-योग्य आउटपुट सेवाओं पर भुगतान-योग्य सेवा-कर की राशि के 20 प्रतिशत से अधिक न हो। 1 अप्रैल 2008 से प्रावधान में परिवर्तन किया गया था और आउटपुट सेवाओं के प्रदायक, जो अलग खाते न रखने का विकल्प दे, को छूट-प्राप्त सेवाओं के मूल्य के आठ प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करना चाहिए।

नियम 2(ई) के अनुसार छूट-प्राप्त सेवा में वह सेवा शामिल है, जिस पर कोई कर उद्ग्राह्य नहीं है।

हमने पाया कि चेन्नई सेवा कर कमिश्नरी में तीन सेवा प्रदायकों ने सामूहिक इनपुटों, पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया और कर-योग्य और गैर करयोग्य सेवाएं² मुहैया कीं, परन्तु गैर-करयोग्य सेवाओं को आरोपित ₹ 159.15 करोड़ का क्रेडिट वापस नहीं किया गया था। एक व्याख्यात्मक मामला नीचे दिया गया है:-

2.25.1 चेन्नई सेवा कर कमिश्नरी में, मै एयर टेल लिमिटेड ने मोबाइल फोन सेवा (कर योग्य) और गैर-करयोग्य दूरसंचार सेवाएं मुहैया कीं और इनपुटों, पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं पर सितम्बर 2004 से सितम्बर 2007 के दौरान की अवधि के लिए सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया। निर्धारिती ने कर-योग्य और गैर कर-योग्य सेवाओं के लिए प्रयुक्त इनपुटस और इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखा नहीं रखा था। निर्धारिती ने समग्र सेनवेट क्रेडिट का सेवा कर के भुगतान के लिए उपयोग किया परन्तु गैर कर-योग्य सेवा मुहैया करने के लिए प्रयुक्त इनपुट/इनपुट सेवाओं को कोई देय क्रेडिट प्रतिवर्तित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 2005-06 से 2007-08 के दौरान ₹ 64.29 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ हुआ, जो कि ब्याज सहित वसूली-योग्य था।

आपत्ति बताये जाने पर (मार्च 2008), विभाग ने बताया कि नियम 6(3) बहुत पहले 1 अप्रैल 2008 से ही संशोधित किया गया था और यह नियम में कमी थी। चूंकि छूट-प्राप्त

² 15 जनवरी 2007 तक अन्तर्राष्ट्रीय इन बाउन्ड रोमिंग सेवाएं, 31 मई 2007 तक अन्तर-सम्बद्धता सेवाएं और विशेष आर्थिक क्षेत्र को मुहैया की गई सेवाएं।

सेवा के क्षेत्र में गैर करयोग्य सेवाएं शामिल नहीं थी अतः सेनवेट क्रेडिट नियमावली के नियम 6(3) के अधीन राशि वसूली-योग्य थी।

खंड डी: प्रक्रियात्मक कमियां

हमने अनुचित दस्तावेजों पर क्रेडिट का लाभ उठाने सहित निर्धारित प्रक्रिया और अभिलेख-अभिरक्षण के अननुपालन के उदाहरण पाये जिनका कुल राजस्व प्रभाव ₹ 256.73 करोड़ था।

2.26 सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

हमने देखा कि 33 कमिश्नरियों में 65 उत्पादशुल्क योग्य माल के विनिर्माताओं/सेवा प्रदायकों ने गलत ढंग से ₹ 38.14 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। अनियमितताओं में, एक ही बीजक का भिन्न अवसरों पर दो बार क्रेडिट लेना, क्रेडिट शेष की राशि संवर्धित करना और अदा किये गये शुल्क/कर की राशि के बजाय माल/सेवाओं के मूल्य पर क्रेडिट लेना शामिल था। ₹ 38.14 करोड़ की राशि ब्याज सहित वसूली-योग्य थी। विभाग ने ₹ 12.82 करोड़ की राशि वाले 47 मामलों में आपत्ति स्वीकार की थी और 41 मामलों में ₹ 3.34 करोड़ की वसूली और पांच मामलों में ₹ 7.44 करोड़ के एसएनसी जारी करने के बारे में सूचित किया। दो व्याख्यात्मक मामले नीचे दिये गये हैं:

2.26.1 चण्डीगढ़ कमिश्नरी में, क्लिंकर और सीमेन्ट के विनिर्माण में कार्यरत मै. गगल सीमेन्ट वर्क्स, बरमाना (एसीसी यूनिट I और II) ने जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008 की अवधि के दौरान इनपुटों, पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं पर अदा किये शुल्क के लिए दो बार ₹ 18.33 करोड़ (यूनिट I ₹ 8.36 करोड़ और यूनिट II ₹ 9.97 करोड़) के कुल सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाया। यह ब्याज एवं शास्ति सहित वसूली योग्य था।

आपत्ति फरवरी 2009 में विभाग को बताई गई थी और उसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

2.26.2 पुदूचेरी कमिश्नरी में, व्यक्तिगत कम्प्यूटर और लैपटाप के विनिर्माण में कार्यरत मै लीनोवा (इण्डिया) प्रा.लि. ने 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान ₹ 78.81 लाख के सेनवेट क्रेडिट का लाभ दो बार या पात्रता से अधिक उन्हीं बीजकों के आधार पर उठाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 78.81 लाख के सेनवेट क्रेडिट का दो बार/अधिक लिया जाना ₹ 10.25 लाख के ब्याज और ₹ 78.81 लाख की शास्ति के साथ वसूली योग्य था।

आपत्ति बताये जाने पर निर्धारिती ने ₹ 78.81 लाख का गलत/अधिक क्रेडिट अप्रैल 2009 के दौरान वापस अदा किया।

तथापि, विभाग ने ब्याज नहीं प्रभारित किया और बताया (अक्टूबर 2009) कि निर्धारितियों के पास निरन्तर अपेक्षित राशि से अधिक शेष रहता था जो अप्रैल 2007 से मार्च 2009 की अवधि के लिए प्रतिवर्तित करना पड़ता था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था। दिनांक 3 सितम्बर 2009 के परिपत्र द्वारा सीबीईसी द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण में यह निर्दिष्ट किया गया था कि जब गलत ढंग से

क्रेडिट लिया जाये तो उसे ब्याज लगेगा, चाहे उस क्रेडिट को उपयोग में न लाया गया हो।

2.27 सेनवेट क्रेडिट का स्वनिर्णय से लाभ उठाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बी में निर्दिष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, जो उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय का दावा करता हो, को शुल्क के भुगतान की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले केन्द्रीय उत्पाद के अधिकारक्षेत्रीय सहायक/उपायुक्त को आवेदन देना चाहिए। सेस्टाट ने मै. जय भवानी कानकास्ट (प्रा) लिमिटेड बनाम सीसीई जयपुर {2007(213) ईएलटी 195 (ट्री दिल्ली)} में मत व्यक्त किया कि यदि माल निकासी करते समय सेनवेट क्रेडिट खाते से गलती से शुल्क का भुगतान किया गया हो, तो निर्धारिती धारा 11बी के अधीन प्रतिदाय आदेश के बिना उसी का पुनः क्रेडिट नहीं ले सकता है।

हमने देखा कि नौ कमिश्नरियों में, उपयुक्त प्रावधानों के विपरीत 14 निर्धारितियों ने ₹ 23.50 करोड़ का स्वनिर्णय से क्रेडिट का लाभ उठाया। विभाग ने ₹ 68.92 लाख की अन्तर्ग्रस्तता वाले तीन मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की थी। एक मामले में ₹ 4.55 लाख का क्रेडिट प्रतिवर्तित किया गया था। पांच मामलों में ₹ 3.20 करोड़ के एससीएन भी जारी किये गये थे, जिनमें ₹ 64.72 लाख के स्वीकार किये गये दो मामले शामिल हैं। निम्नलिखित पैराग्राफों में दो मामले सोदाहरण दिए गए हैं:

2.27.1 चण्डीगढ़ I कमिश्नरी में, मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, शिमला, सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाता ने नवम्बर 2005 से मार्च 2007 की अवधि के लिए शिक्षा उपकर लेखे में त्रुटियां सुधारने के बाद मार्च 2007 की छःमाही समाप्ति के लिए जुलाई 2007 में संशोधित रिटर्न भरा। तत्पश्चात्, निर्धारिती ने रिफंड आदेश की सुसंगत प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना नवम्बर 2005 से मार्च 2007 की अवधि के लिए ₹ 4.75 करोड़ का अपने आप ही क्रेडिट ले लिया। यह राशि ब्याज सहित वसूली योग्य है और केवल रिफंड आदेश की प्राप्ति के बाद ही वापिस क्रेडिट की जा सकती है।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (फरवरी 2009), विभाग ने सूचना दी (सितम्बर 2009) कि ₹ 4.75 करोड़ का एससीएन शीघ्र ही जारी किया जा रहा था। इससे आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

2.27.2 भुवनेश्वर I में, मैसर्स नालको लिमिटेड (स्मेल्टर प्लांट) और भुवनेश्वर II कमिश्नरी में मैसर्स भूषण पावर और स्टील लिमिटेड, एल्यूमिनियम इनगोट और लौह इस्पात के निर्माता ने मार्च 2006, मई 2007 और जनवरी 2009 के दौरान ₹ 1.06 करोड़ के शुल्क का जिसका उनके द्वारा अधिक भुगतान किया गया था, सेनवेट क्रेडिट लिया। चूंकि राशियों का भुगतान सेनवेट क्रेडिट खाते से किया गया था, निर्धारितियों को उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार रिफंड के दावे करना आवश्यक था। ₹ 1.06 करोड़ के कुल क्रेडिट की ब्याज सहित वसूली होनी चाहिए थी।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2009 और फरवरी 2009), विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2009) कि मैसर्स नालकों के मामले में निर्धारिती की गणना की गलती के कारण उत्पाद शुल्क का अधिक भुगतान डेबिट किया गया था, इसलिए रिफंड के लिए आवेदन देने की आवश्यकता नहीं थी। मैसर्स भूषण पावर और स्टील लिमिटेड के मामले में विभाग ने सूचना दी (मई 2010) कि ₹ 1.01 करोड़ के लिए एससीएन जारी कर दिया गया था।

2.28 इनपुट सर्विस वितरक द्वारा सेनवेट क्रेडिट का असंगत वितरण

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 7 के प्रावधानों में, इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) आउटपुट सेवाप्रदाता यूनिट या यूनिटों के निर्माता को इनपुट सेवा पर सेवा कर के भुगतान के संबंध में सेनवेट क्रेडिट का वितरण कर सकता है। इनपुट सेवा क्रेडिट के वितरण के उद्देश्य के लिए इनपुट सेवा वितरक के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। सेनेवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 9 और सेवा कर नियमावली, 2002 का नियम 4ए (2) उन दस्तावेजों का उल्लेख करते हैं जिनके आधार पर क्रेडिट लिया जा सकता है।

हमने पाया कि 22 कमिश्नरियों में 38 निर्धारितियों ने इनपुट सेवा वितरकों द्वारा असंगत वितरण के आधार पर ₹ 92.45 करोड़ के क्रेडिट का लाभ लिया गया था। लिया गया क्रेडिट तर्कसंगत नहीं था क्योंकि क्रेडिट बिना दस्तावेजों के लिया गया था या गैर उल्लिखित दस्तावेजों जैसे क्रेडिट नोट, चलान, अन्तर कार्यालयी ज्ञापनों इत्यादि के आधार पर लिया गया था। विभाग ने ₹ 1.28 करोड़ राजस्व के नौ मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और ₹ 16.16 लाख की वसूली की जानकारी दी। इसके अलावा ₹ 7.66 करोड़ के 12 मामलों में एससीएन जारी कर दिए गए थे। दो मामले सोदाहरण नीचे दिए गए हैं: -

2.28.1 कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में, मैसर्स नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, मैसर्स यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और मैसर्स इलाहाबाद बैंक ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा भेजे गए अनुपयुक्त दस्तावेजों जो आईएसडी के रूप में पंजीकृत नहीं थे, के आधार पर सेनवेट क्रेडिट लिया। 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान लिया गया ₹ 66.87 करोड़ का क्रेडिट अनियमित था और ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (जनवरी 2007 और अप्रैल 2009), विभाग ने बताया (अप्रैल 2007 और जनवरी 2009 के बीच) कि पहले मामले में ऐसी प्रथा स्वीकार्य थी क्योंकि निर्धारिती ने अस्थायी आधार पर शुल्क का भुगतान किया था। बाकी के दो मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति अस्वीकारते हुए सूचित किया (जुलाई 2009) कि इन बैंकों की विभिन्न शाखाएं मासिक विवरण तैयार करती हैं जिसमें बीजकों का विस्तृत विवरण समाविष्ट होता है और उसे संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयों में भेजा जाता है जो इसके बदले में एक समेकित रिटर्न तैयार करते हैं और उसे मुख्यालय जो केन्द्रीय रूप से पंजीकृत होता है, को भेजते हैं क्योंकि सेनवेट क्रेडिट से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए वे इस आन्तरिक पद्धति का अनुसरण करते थे।

मैसर्स नेशनल इनश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के मामले में विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अस्थायी आधार पर किया गया निर्धारण अनियमित रूप से लिए गए क्रेडिट को उचित ठहराने का कारण नहीं हो सकता। बाकी दो मामलों का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है। चूंकि बैंक का मुख्यालय पंजीकृत आईएसडी कार्यालय था, उसके लिए सभी बीजक केन्द्रीय रूप से प्राप्त करना, वास्तविक बीजकों के आधार पर सेनवेट क्रेडिट लेना और उसे आईएसडी को वितरित करना वांछनीय था। अनुसरण की जा रही प्रणाली के अन्तर्गत यह आश्वासन मिलना असंभव था कि आईएसडी ने क्रेडिट की सही राशि ली है क्योंकि प्रत्येक शाखा में बीजको की जांच करनी पड़ेगी।

2.28.2 चण्डीगढ़ कमिश्नरी में मैसर्स, गगल सीमेंट वर्क्स बरमाना- एसीसी लिमिटेड (यूनिट I और II), क्लिंकर और सीमेंट के निर्माता ने नवम्बर 2004 से मई 2006 की अवधि के दौरान क्रेडिट नोट के आधार पर ₹ एक करोड़ का अनुपयुक्त क्रेडिट लिया।

फरवरी 2009 में इस आपत्ति पर ध्यान दिलाया गया, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

2.29 पूंजीगत माल पर अधिक सेनवेट क्रेडिट लिया जाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 पूंजीगत माल पर विशिष्ट शुल्क का क्रेडिट प्रदान करती है जो उस वित्तीय वर्ष जिसमें पूंजीगत माल की अधिप्राप्ति की गई, में दत्त शुल्क के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और बाकी 50 प्रतिशत अधिप्राप्ति के वित्तीय वर्ष के बाद के किसी भी वित्तीय वर्ष में हो।

हमने पाया कि 18 कमिश्नरियों में 31 निर्धारितियों ने ₹ 24.26 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट लिया जो उसी वित्तीय वर्ष जिसमें पूंजीगत माल की अधिप्राप्ति की गई थी में 50 प्रतिशत से अधिक था। विभाग ने ₹ 1.88 करोड़ के क्रेडिट वाले 11 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की और नौ मामलों में ₹ 15.75 लाख की वसूली सूचित की। तीन मामले सोदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

2.29.1 चण्डीगढ़-I कमिश्नरी में मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड शिमला और मैसर्स राजा फोरजिग्स और गियर लिमिटेड बड्डी, क्रमशः सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन सेवा प्रदाता और गियर और शाफ्ट के निर्माता ने वर्ष 2004-05 और 2007-08 में पूंजीगत माल पर 50 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा के प्रति ₹ 2.87 करोड़ का 100 प्रतिशत क्रेडिट लिया। उसी वर्ष क्रेडिट का उपयोग भी कर लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.44 करोड़ का अधिक सेनवेट क्रेडिट लिया और उपयोग किया गया जिस पर ₹ 25.34 लाख का ब्याज भी देय था।

जब हमने इस ओर ध्यान दिलाया (अक्टूबर 2008 और फरवरी 2009), विभाग ने पहले मामले के बारे में सूचना दी (सितम्बर 2009) कि वर्ष 2008-09 के लिए क्रेडिट के अधिक उपयोग के आंकड़े प्राप्त करने के बाद संरक्षात्मक मांग की जा रही थी। दूसरे मामले में विभाग ने सूचित किया कि जल्द ही निर्धारिती को ₹ 1.39 लाख का एससीएन जारी किया जा रहा था। दोनो मामलों में नवीनतम कार्यवाही प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

2.29.2 चण्डीगढ़-1 कमिश्नरी में, मैसर्स कन्धारी बेवरेजस प्राइवेट लिमिटेड, बड्डी, ऐड्रेटेड पानी के निर्माता ने खाली बोतलों और शैलों, जो ऐड्रेटेड पानी को लाने ले जाने के लिए प्रयोग होते हैं, पर दत्त शुल्क पर पूरा क्रेडिट लिया। निर्धारिती के लेखों से पता चला कि इस माल को पूंजीगत परिसम्पत्तियों के रूप में समझा जा रहा था; इसलिए उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पूंजीगत माल पर दत्त शुल्क पर 50 प्रतिशत तक का सेनवेट क्रेडिट अनुमत था। इस अनियमितता के परिणामस्वरूप वर्ष 2003-04 से 2006-07 के दौरान ₹ 1.03 करोड़ का अधिक क्रेडिट लिया गया।

विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2009) कि मामला मंत्रालय स्तर पर उठाया जाएगा। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी। (दिसम्बर 2010)।

2.29.3 बोलपुर कमिश्नरी में, मैसर्स एलोय स्लीटस प्लांट, दुर्गापुर ने पहले वर्ष में ही अपनी फैक्ट्री में प्राप्त पूंजीगत माल पर नियमों के अन्तर्गत वांछित दत्त शुल्क के पचास प्रतिशत पर सीमित न करके, दत्त शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा उपकर की पूरी राशि पर सेनवेट क्रेडिट लिया। यह सांविधिक प्रावधानों का उल्लंघन था और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान ₹ 45.98 लाख का गलत सेनवेट क्रेडिट लिया गया।

जब हमने इस बारे में बताया (मार्च 2009), विभाग ने बताया कि पूंजीगत माल का 50 प्रतिशत क्रेडिट निर्धारिती के पास अगले वर्ष में उपलब्ध था। इसलिए, कोई वसूली नहीं की जा सकी थी किन्तु इसने उस अवधि जिसमें पहले ही क्रेडिट लिया गया था, के लिए ब्याज की वसूली के बारे में सूचित किया था।

2.30 समयपूर्व/अग्रिम में सेनवेट क्रेडिट लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3(4) में अनुबंध है कि केवल पिछले माह के अन्तिम दिन तक उपलब्ध मात्रा तक ही सेनवेट क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त नियमावली के नियम 4(1) के अनुसार, इनपुट पर क्रेडिट निर्माता फैक्ट्री में उसकी प्राप्ति पर तुरन्त लिया जा सकता है। इसी प्रकार, नियम 4(7) के प्रावधानों के अनुसार उस दिन या उसके बाद उस दिन जिस दिन इनपुट सेवा के लिए भुगतान किया जाता है और उस पर सेवा कर दिया जाता है, इनपुट सेवाओं पर क्रेडिट अनुमत किया जा सकता है।

हमने पाया कि 13 कमिश्नरियों में 28 निर्धारितियों ने अपने सेनवेट खाते में वास्तविक क्रेडिट की संभूति के अग्रिम में इनपुट और इनपुट सेवाओं पर ₹ 3.39 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट लिया जो कि उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अनुसार अनियमित और वसूली योग्य था। विभाग ने ₹ 66.07 लाख के राजस्व के नौ मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया और सात मामलों में ₹ 64.88 लाख की वसूली के बारे में सूचना दी। मैसर्स केडबरी लिमिटेड मलनपुर द्वारा ₹ 39.92 लाख का भुगतान किए जाने के बावजूद विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। एक मामला सोदाहरण नीचे दिया गया है:-

गाजियाबाद कमिश्नरी में, मैसर्स सेमटेल कलर लिमिटेड ने वर्ष 2005-06 से 2007-08 के दौरान 178 मामलों में सेवाओं के भुगतान और उस पर सेवा कर से पहले इनपुट सेवाओं पर ₹ 1.63 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट लिया। यह क्रेडिट वास्तविक भुगतान के 10 दिन से 224 दिन पहले लिया गया था। ₹ 1.63 करोड़ का समयपूर्व क्रेडिट लेना अनियमित था और ₹ 3.71 लाख के ब्याज सहित वसूली योग्य था।

जब हमने जनवरी 2009 में इस ओर ध्यान दिलाया, विभाग ने उत्तर दिया (जनवरी 2010) कि अक्टूबर 2009 में निर्धारिती को ₹ 1.67 करोड़ के लिए एक कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया था। आगे की कार्यवाही प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2010)।

2.31 अवैध दातावेजों के आधार पर क्रेडिट लेना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में निहित है कि सेनवेट क्रेडिट, निर्माता या आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा मूल बीजक, सीमाशुल्क के मूल्यांकनकर्ता द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सेवा कर के भुगतान के चलानों और इनपुट सेवा वितरकों (आईएसडी) द्वारा जारी बीजकों/चलान जोकि क्रमानुसार हों और निर्धारित विवरणों सहित हों जैसे विशिष्ट दस्तावेजों के आधार पर लिया जा सकता है।

हमने देखा कि 32 कमिश्नरियों में 144 निर्धारितियों ने अमान्य या अनुपयुक्त दस्तावेजों जैसे बिलों की जिरोक्स कापी, डेबिट नोट, मांग पत्र, परेषिती पत्र, पत्रों, आकंलनों की फोटो प्रतियाँ, बीजकों जो निर्धारितियों के नाम नहीं थे, अर्न्तकार्यालयी ज्ञापनों और आईएसडी बीजक जिनमें निर्धारित विवरण नहीं थे, के आधार पर ₹ 74.98 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट लिया। ₹ 74.98 करोड़ की राशि ब्याज सहित वसूली योग्य थी। विभाग ने ₹ 9.39 करोड़ की राशि वाले 31 मामलों में आपत्तियाँ स्वीकार की थी और 22 मामलों में ₹ 26.10 लाख की वसूली सूचित की। कुछ मामले सोदाहरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

तालिका सं. 3:

क्रम सं.	निर्धारिती	कमिश्नरियाँ	उपयोग किए गए अमान्य दस्तावेज	संलिप्त राशि
1	मैसर्स टेलिविज़न ऐटीन इंडिया लिमिटेड	एसटी मुम्बई	निर्धारित विवरणों वाले बीजकों के बजाय आईएसडी के विवरण	18.01 करोड़
2	मैसर्स टाटा स्टील लिमिटेड बिस्तपुर	जमशेदपुर	अधूरे बीजक	18.12 करोड़
3	मैसर्स आइडिया सैल्युलर लिमिटेड	कोचीन	डेबिट नोटस	11.95 करोड़
4	मैसर्स सेन्द्रल केबलस लिमिटेड; मैसर्स केन्डीको (आई) लिमिटेड और मैसर्स बील्ट अश्टी लिमिटेड।	नागपुर	बिलों की फोटो प्रतियाँ	26.27 लाख